नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 03, अंक 319, नई दिल्ली, रविवार 18 जनवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सहनशील होना अच्छी बात है.. पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है..!!

02 मां-बाप और परिवार का झगड़ा बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर
06 दिल्ली परिवहन विभाग और जनता की सुरक्षा: क्या भरोसा संभव?
08 BJD को तोड़ने की साज़िश चल रही थी, विजय महापात्रा मदद कर रहे थे

दिल्ली परिवहन विभाग: कानून की 'आन-ऑफ' स्विच या जनता की जान का दुश्मन?

दिल्ली परिवहन विभाग कानूनी आदेशों की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं जैसे पुराने अखबार के कागज — जनता की जान पर बन रही है, लेकिन जांच एजेंसियां सो रही हैं!

आपके लिए सही लेख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इसमें विशिष्ट संदर्भों (सुप्रीम कोर्ट MC Mehta केस, दिल्ली HC e-रिक्शा प्रतिबंध, MoRTH अधिसूचना, CBI जांच आदि) से समृद्ध किया गया है, (भ्रष्टाचार, प्रदूषण, दुर्घटनाओं)

कानूनी अवहेलना का 'रेकॉर्ड': सुप्रीम कोर्ट से लेकर LG तक, सबको ठेंगा!

संजय कुमार बाठला

1. दिल्ली परिवहन विभाग उच्चतम न्यायालय के MC Mehta वायु प्रदूषण मामले (1998 से चला आ रहा, जहां वाहन उत्सर्जन पर सख्ती का आदेश),

2. सड़क परिवहन मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना GSR 703(E) (ट्रेड सर्टिफिकेट नियम, 14 सितंबर 2022),

3. दिल्ली उच्च न्यायालय के e-रिक्शा प्रतिबंध (2015 में अनियमित e-रिक्शा पर रोक, 2026 PIL में असुरक्षित वाहनों पर नोटिस),

4. उपराज्यपाल की गजट नोटिफिकेशन (2016 ओड-ईवन, पुराने डीजल वाहनों पर GRAP),

5. दिल्ली सरकार/CAQM के GRAP निर्देशों (2025 तक पुराने वाहनों पर सख्ती) को तभी मानता है जब 'पर्सनल बोनस' चमके।

जाम, हादसे, प्रदूषण फैला रहे, लेकिन अधिकारी 'ट्रेड सीक्रेट' में मस्त!

*** भ्रष्टाचार के 'सुपरहिट' ड्रामा:** सबूतों की बारिश, फिर भी 'नो एक्शन'!

*** बंधित वाहनों का 'फ्री पास':** पुराने/बंधित वाहनों को पंजीकृत, NGT/SC पुराने डीजल (10+ वर्ष)/पेट्रोल (15+ वर्ष) पर रोक के बावजूद।

*** SC आदेशों पर 'किक':** 1 लाख ऑटो कैप (2011 SC ऑर्डर) तोड़कर गैर-कानूनी LoI,।

*** गैर-तकनीकी 'एक्सपर्ट':** तकनीकी पदों पर बिना योग्यता वाले, जैसेi RTO घोटाले में।

*** कार्यालय 'लॉकडाउन':** जनहित कार्यालय बिना नोटिस बंद, LG ने 2022 में collusion जांच के आदेश दिए।

*** ट्रेड सर्टिफिकेट 'इग्नोर':** बिना सर्टिफिकेट बिक्री, MoRTH 2022 नियम तोड़े; CBI ने 2025 में 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार में अरेस्ट किया।

*** जांच एजेंसियों पर 'झाड़ू':** सरकारी सर्टिफिकेट दरकिनार, दिल्ली HC ने 2023 में LG/ट्रांसपोर्ट को नोटिस।

*** 'ब्लॉकबस्टर' सबूत उपलब्ध, CBI/DoV जांच के बावजूद दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव, LG, HC/SC, गृह मंत्रालय, PMO 'क्लैप' मार रहे!**

*** व्यापक तबाही:**

* जाम से कैंसर तक, जनता का 'फ्री शो'!

* ऐसी 'सेवा' में दिल्ली की सड़कें डेथ ट्रैप बन गईं

* e-रिक्शा हादसे (HC PIL: असुरक्षित, uninsured),

* प्रदूषण (MC Mehta: वाहन 28% योगदान),

* जाम (GRAP उल्लंघन)।

अधिकारी 'CNG' से नहीं, 'करप्शन गैस' चला रहे!

*** पुरजोर अपील:**

* जागो सिस्टम! या जनता मरेगी 'ट्रैफिक जाम' में

* क्या मिलेगी जनता को—सुरक्षित सड़कें (हादसे-मुक्त)?

* सुरक्षित सार्वजनिक सवारी (अनरजिस्टर्ड से मुक्ति)?

* जाम-मुक्त सड़कें (कैप तोड़ने वालों पर ब्रेक)?

* हादसे-मुक्त सड़कें (e-रिक्शा प्रतिबंध लागू)?

* प्रदूषण-मुक्त हवा (पुराने वाहन हटाओ)?

बिल्कुल नहीं!

1. दिल्ली की जनता, मीडिया, SC/HC, LG, केंद्र—तत्काल CBI/NGT जांच, दोषी बर्खास्तगी, 2. सख्त प्रवर्तन!

#DelhiTransportScam
#MCmehtaLives
#JanataKiSuraksha

परिवहन विशेष जनहित विशेष कॉलम

"अब 'इंडिया' नाम को हटाकर 'भारत' करने की तैयारी"

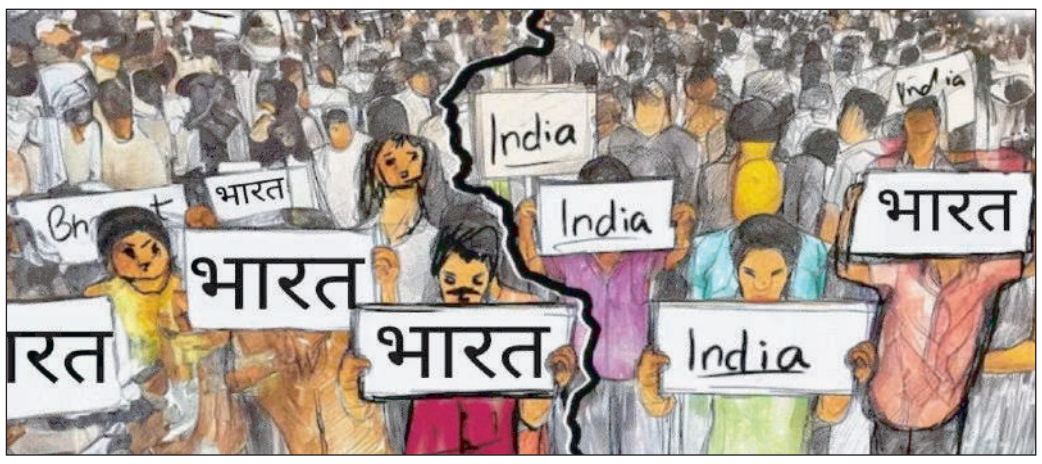

पिंकी कुंडू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देशभर में कई अहम नामों में बदलाव किए हैं.

पिछले कुछ सालों में भारत में कई सड़कों, सरकारी इमारतों, संस्थानों और शहरों के नाम बदले गए हैं राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने से लेकर योजना आयोग को नीति आयोग बनाने तक, देशभर में नाम परिवर्तन की यह प्रक्रिया लगातार चर्चा का विषय रही है. अब इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव यह हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और उसके आसपास के प्रशासनिक ब्लॉक का नाम

'सेवा तीर्थ' रखा गया है

यह नया परिसर पहले Executive Enclave के नाम से जाना जाता था और इसी नए भवन परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित होंगे. नया नाम सेवा तीर्थ इसलिए चुना गया है क्योंकि यह सरकार के कामकाज में

'सेवा की भावना' को प्राथमिकता देने का प्रतीक है. यानी शासन केवल सत्ता और अधिकार के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा और कल्याण के लिए है.

चर्चा में रहा नाम परिवर्तनपिछले कुछ वर्षों में भारत में कई सड़कों, सरकारी इमारतों, संस्थानों और शहरों के नाम बदले गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन बदलावों को गुलामी के दौर की पहचान से बाहर निकलने और भारतीय संस्कृति, लोक भावना और कर्तव्य की सोच को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.

पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित नाम बदले गए हैं

***1. राजपथ- कर्तव्य पथ (2022)**

***2. 7 रेस कोर्स रोड** - लोक कल्याण मार्ग (2016) *प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है.

***3. योजना आयोग** - नीति आयोग (2015) *आजादी के बाद बना योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया. इसका उद्देश्य राज्यों को साथ लेकर नीति बनाना है.

***4. प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर-** सेवातीर्थ (2025–26) *पीएमओ के नए कॉम्प्लेक्स का नाम सेवातीर्थ (Seva Teerth) रखा गया. यह नाम सेवा भावना और सार्वजनिक जिम्मेदारी को दर्शाता है.

5.केंद्रीय सचिवालय- कर्तव्य भवनसेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए सचिवालय भवनों को कर्तव्य भवन कहा गया. यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य बोध को दर्शाने के लिए किया गया.

6.डलहौजी रोड- दारा शिकोह रोडब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर बनी सड़क का नाम बदलकर मुगल राजकुमार दारा शिकोह के नाम पर रखा गया. दारा शिकोह को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है.

7. राजभवन- लोकभवन (कई राज्य) कई राज्यों में राज्यपाल के आवास राजभवन को लोकभवन कहा जाने लगा. यह बदलाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम जैसे राज्यों में लागू हुआ.

8.राज निवास- लोक निवासलद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में राज निवास का नाम बदलकर लोक निवास किया गया.

शहरों और स्थानों के बड़े नाम परिवर्तन

***9. इलाहाबाद-** प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) *ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को ध्यान में रखते हुए नाम बदला गया.

10.फैजाबाद जिला- अयोध्या जिलाराम जन्मभूमि से जुड़ी धार्मिक पहचान को प्रमुखता दी गई.

11.मुगलसराय स्टेशन- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया.

12.औरंगाबाद- संभाजीनगर (महाराष्ट्र)

*छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में नाम बदला गया.

***13. उस्मानाबाद-** धाराशिव (महाराष्ट्र) *प्राचीन भारतीय नाम को फिर से अपनाया गया.

Indian Penal Code का भी बदला नामभारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का नाम बदल चुका है, लेकिन यह सिर्फ नाम नहीं बदलकर पूरी तरह नई संहिता में बदल गया है. पुरानी Indian Penal Code (IPC), 1860 जिसे ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था और आजादी के बाद भी लागू रहा. अब 1 जुलाई 2024 से यह हटकर नई संहिता में बदल गया है.

नया नाम क्या है? Indian Penal Code (IPC) की जगह अब Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 लागू हो गया है. New criminal law (Bharatiya Nyaya Sanhita) 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है और इससे IPC पूरी तरह बदल गया है. सरकार का कहना है कि पुराने IPC को आधुनिक समय के अनुसार बदलने और भारत की पहचान के हिसाब से नया नाम देने की जरूरत थी.

नाम बदलने का महत्त्व

केंद्र सरकार का कहना है कि देश में सड़कों, शहरों, सरकारी इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने का निर्णय सिर्फ एक नाम बदलने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे तीन बड़े उद्देश्य हैं.

1.गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति कई पुरानी सड़कों, भवनों और संस्थानों के नाम ब्रिटिश शासन अधिकारी के नाम पर थे.

जैसे राजपथ, डलहौजी रोड, कुछ रेलवे स्टेशन आदि. सरकार का कहना है कि इन नामों से भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान को ठीक तरह से नहीं दिखाया जाता था. नाम बदलकर अब ये स्वदेशी और भारतीय प्रतीकों से जुड़े हुए हैं. जैसे- राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, डलहौजी रोड का नाम दारा शिकोह रोड.

2.भारतीय इतिहास और संस्कृति का सम्माननाम बदलने का दूसरा उद्देश्य यह है कि इतिहास और संस्कृति को सही सम्मान मिले. पुराने नाम अक्सर उपनिवेशिक काल या विदेशी प्रभाव को दर्शाते थे. नए नाम ऐसे चुने गए हैं जो भारतीय संस्कृति, वीरता, लोककथा और राष्ट्रीय नेताओं को समर्पित हैं. जैसे-औरंगाबाद- छत्रपति संभाजीनगर, इलाहाबाद-प्रयागराज.

3.लोककल्याण और सेवा की भावना को बढ़ावा देनासिर्फ जगह का नाम बदलना ही नहीं, बल्कि सरकारी संस्थानों और भवनों के नाम बदलकर कर्तव्य और सेवा का संदेश दिया गया, जैसे 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, राज निवास का नाम बदलकर लोक निवास हो गया।

गणतंत्र दिवस रिहर्सल परेड, 19, 20 और 21 जनवरी को ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट; कर्तव्यपथ के करीब ट्रैफिक बंद

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को सुचारु रुप से संपन्न कराने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने 19, २० और २१ जनवरी २०२६ को विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। इन दिनों सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर्तव्यपथ और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध रहेंगे। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।

यहां रहेगा यातायात प्रतिबंध

रिहर्सल के दौरान कर्तव्यपथ से जुड़े प्रमुख चौराहों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इनमें कर्तव्यपथ–रफी मार्ग क्रासिंग, कर्तव्यपथ–जनपथ क्रासिंग, कर्तव्यपथ–मानसिंह रोड क्रासिंग और कर्तव्यपथ–सी-हेक्सागन शामिल हैं।

उत्तर-दक्षिण (और विपरीत दिशा) के लिए सुझाए गए मार्ग

उत्तर से दक्षिण जाने वाले वाहन रिंग रोड (सराय काले खां-आइ.पी. फ्लाईओवर–राजघाट), लाजपत राय मार्ग–मथुरा रोड–भैरों रोड–रिंग रोड, अरबिंदो मार्ग–सफदरजंग रोड–कमाल अतातुर्क मार्ग–कौटिल्य मार्ग–सरदार पटेल मार्ग–मदर टेरेसा क्रिसेंट–आरएमएल–बाबा खड़क सिंह मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज रोड–राजेश पायलट मार्ग–सुब्रमण्यम भारती मार्ग–मथुरा रोड–भैरों रोड–रिंग रोड भी वैकल्पिक रहेगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार: गृह मंत्रालय का NCRP–CFCFRMS पर नवीनतम SOP: "साइबर अपराध जांच को गति" (कस्टडी, धन की बहाली और शिकायत निवारण)

डेबिट फ्रीज़ और लियन पर मुख्य प्रावधान

*समय सीमा: यदि कोई न्यायालय आदेश या बहाली का निर्देश उपलब्ध नहीं है, तो बैंक को 90 दिनों के भीतर डेबिट फ्रीज़ या लियन हटाना होगा।

*छोटे मूल्य के धोखाधड़ी मामले: ₹50,000 से कम की धोखाधड़ी में, बिना न्यायालय आदेश के तुरंत धनवापसी की जा सकती है, ताकि पीड़ितों को अनावश्यक कठिनाई न हो।

*न्यायिक पर्यवेक्षण: यदि सक्षम न्यायालय BNSS या अन्य लागू कानूनों के तहत निर्देश देता है, तो फ्रीज़ तब तक जारी रहेगा जब तक मामला निपट नहीं जाता।

*पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण: SOP यह सुनिश्चित करता है कि फ्रीज़ मनमाना या अनिश्चितकालीन न हो, जिससे पीड़ितों और गलत तरीके से प्रभावित खाता धारकों दोनों की सुरक्षा हो।

*** पृष्ठभूमि और उद्देश्य**

*NCRP (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल): 2019 में शुरू किया गया, जिससे नागरिक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्ट कर सकें।

*CFCFRMS (नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली): 2021 में शुरू की गई, जो पुलिस, बैंक और वित्तीय मध्यस्थों को वास्तविक समय में धोखाधड़ी रोकने हेतु जोड़ती है।

*SOP का उद्देश्य: साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों (CEFCs) से निपटने के लिए समान, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना, अपराध रोकथाम और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना।

उपलब्धियाँ और आवश्यकता

*रिपोर्टेड (अप्रैल 2021 – नवम्बर 2025): ₹52,969 करोड़।

*धोखेबाज़ों से बचाया गया: ₹7,647 करोड़।

*पीड़ितों को लौटाया गया: केवल ₹167 करोड़ (₹2.18%)।

*पहचानी गई कमी: पीड़ित राहत सुधारने हेतु सरल और त्वरित अंतरिम कस्टडी एवं बहाली प्रक्रियाओं की आवश्यकता।

*** उद्देश्य**

*सभी भागीदार संस्थाओं (PEs) के लिए समान प्रक्रियाएँ निर्धारित करना।

*पुट-ऑन-होल्डर और जब्ती तंत्र के दुरुपयोग को रोकना।

*धन/संपत्ति की पीड़ित-केंद्रित बहाली सुनिश्चित करना।

*समयबद्ध शिकायत निवारण प्रदान करना।

* नागरिक अधिकारों की रक्षा करना (जीविका का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार)।

*दायरा

1. संदिग्ध लेन-देन को रोकना, अंतरिम कस्टडी और बहाली।
2. डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का निलंबन/बहाली।
3. साइबर अपराध से जुड़े खातों या संपत्ति की जब्ती/रिहाई।
4. अंतरिम कस्टडी और बहाली के पाँच वैकल्पिक तरीके।
5. अप्राप्त धन का निपटान।
6. CFCFRMS के माध्यम से की गई कार्रवाइयों पर शिकायत निवारण।

*** मार्गदर्शक सिद्धांत**

*कानूनी आधार: BNSS की धाराएँ 94, 106, 168; CrPC समकक्ष; BUDS अधिनियम; PMLA प्रावधान।

*सावधानी: केवल वास्तविक CEFC शिकायतें आगे बढ़ाई जाएँ; झूठी/प्रेरित शिकायतें हतोत्साहित।

*वास्तविक समय कार्रवाई: बैंक NCRP से API एकीकरण कर तुरंत रुपुट-ऑन-होल्डर करें।

*AML/CFT अनुपालन: उन्नत सावधानी (EDD) आवश्यक; RBI परिपत्रों का पालन।

*शिकायत निवारण: पीड़ित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं; तय समय सीमा में समाधान अनिवार्य।

*जवाबदेही: IOs और LEAs को अनावश्यक फ्रीज़ से बचना होगा; न्यायिक सुरक्षा को प्रोत्साहित किया गया।

*पीड़ित-प्रथम सिद्धांत: वास्तविक पीड़ितों को अंतरिम कस्टडी; कई पीड़ितों में समानुपातिक वितरण।

*पारदर्शिता: प्रत्येक चरण पर SMS/ईमेल द्वारा पीड़ितों और बैंकों को सूचना।

*** शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया**

*NCRP (पोर्टल): पीड़ित ऑनलाइन पंजीकरण → स्वीकृति → पुलिस सत्यापन → CFCFRMS को अग्रेषण → बैंक/वित्तीय संस्थाओं को नोटिस → FIR/e-FIR यदि जब्ती/फ्रीज़ आवश्यक।

*हेल्पलाइन 1930: पीड़ित कॉल करता है → पुलिस विवरण दर्ज करती है → CFCFRMS पर टिकट बनता है → स्वीकृति → पीड़ित NCRP पर पूर्ण विवरण जमा करता है।

*बैंक: बैंक अपने ग्राहकों की ओर से NCRP पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

*पुलिस स्टेशन: सीधे CFCFRMS पर शिकायत दर्ज करने में सक्षम।

*** हितधारक**

*बैंक: वाणिज्यिक, सहकारी, लघु वित्त, भुगतान बैंक, RRBs, LABs।

*नियामक: RBI, SEBI, NABARD, PFRDA, IRDAI, DFS।

*संस्थाएँ: PSOs, PGs, PAs, NBFCs, BCs, LSPs, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, क्रिप्टो एक्सचेंज।

*कानून प्रवर्तन: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, I4C (MHA)।

*उद्योग निकाय: भारतीय बैंक संघ (IBA), NPCI।

पीड़ित संरक्षण और बहाली

*अंतरिम कस्टडी:

*BNSS की धारा 106 (एकल/एकाधिक पीड़ित)।

*BNSS की धाराएँ 107, 497, 498, 503 के तहत न्यायालय आदेश।

*क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की प्रक्रियाएँ।

*अप्राप्त धन: निर्धारित तंत्र से निपटान।

*कई पीड़ित: धन के मिश्रण की स्थिति में समानुपातिक वितरण।

शिकायत निवारण

*संरचित तंत्र:

*रोकी गई राशि।

*डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का निलंबन।

*खातों/संपत्ति की जब्ती।

*पीड़ितों की शिकायतें तय समय सीमा में हल की जाएँ।

*गलत फ्रीज़/लियन को तुरंत सुधारा जाए, जिससे बैंक और LEAs की जवाबदेही सुनिश्चित हो।

सारांश यह SOP पीड़ित-केंद्रित, कानूनी रूप से अनुपालन योग्य, पारदर्शी और जवाबदेह ढाँचा स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है:

*नुकसान रोकने हेतु वास्तविक समय हस्तक्षेप।

*धन की अंतरिम कस्टडी और बहाली।

*गलत फ्रीज़ पर शिकायत निवारण।

*** अपराध रोकथाम और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन।**

मां-बाप और परिवार का झगड़ा बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है।

पूजा ठाकुर
(मेंटल हेल्थ एंड स्कूल काउंसलर) POOJA (Mental Health & School Counsellor)

इसके प्रभाव और बचाव के उपाय बता रही है स्कूल काउंसलर और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट पूजा काउंसलर।

टूटे हुए परिवार में रहने का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है । वे चिंता, अवसाद और भावनात्मक टूटने के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और कभी-कभी पढ़ाई में रुचि खो देते हैं, जिसका असर उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ता है।

पारिवारिक झगड़ों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

परिवार बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और भावनात्मक सहारा देने वाली जगह होती है। लेकिन जब इसी वातावरण में बार-बार झगड़े, तनाव और कलह होती है, तो इसका सीधा और गहरा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई बार बच्चे अपने मन की बात कह नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर गंभीर मानसिक दबाव झेलते रहते हैं।

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव

1. डर और असुरक्षा की भावना

लगातार होने वाले झगड़े बच्चों के मन में डर पैदा करते हैं। उन्हें घर असुरक्षित लगने लगता है और वे हमेशा किसी अनहोनी की आशंका में रहते हैं।

2. चिंता और अवसाद (डिप्रेशन)

पारिवारिक तनाव के कारण बच्चे अत्यधिक सोचने लगते हैं। इससे उनमें चिंता, उदासी और अवसाद जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं।

3. आत्मविश्वास में कमी

झगड़ों के माहौल में पलने वाले बच्चे खुद को दोषी मानने लगते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वे खुद को कमतर समझने लगते हैं।

4. गुस्सा और आक्रामक व्यवहार

कुछ बच्चे अपने अंदर की भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। वे चिड़चिड़े, जिद्दी और हिंसक व्यवहार करने लगते हैं।

5. पढ़ाई पर नकारात्मक असर

मानसिक तनाव के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। उनकी एकाग्रता और याददाश्त प्रभावित होती है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन गिर सकता है।

लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव

नींद की समस्या

अकेलापन और सामाजिक दूरी

भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई

भविष्य में रिश्तों को निभाने में परेशानी

आत्मसम्मान की कमी

माता-पिता की भूमिका

बच्चों के सामने झगड़ा करने से बचें

बच्चों को यह भरोसा दिलाएं कि वे सुरक्षित हैं

उनकी भावनाओं को समझें और सुनें

जरूरत पड़ने पर काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की मदद लें

घर में सकारात्मक और शांत वातावरण बनाएं

पारिवारिक झगड़े केवल बड़ों की समस्या नहीं होते, उनका सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उनके पूरे जीवन की नींव होता है। इसलिए जरूरी है कि परिवार में प्रेम, संवाद और समझदारी को प्राथमिकता दी जाए, ताकि बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मविश्वासी बन सकें।

एक शांत और स्नेहपूर्ण परिवार ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।

रिलेशनशिप इश्यू और बच्चों की मानसिक समस्या के लिए आप हमारी वेबसाइट www.counsellingwali.com या फिर हमें 9716739398 पर संपर्क कर सकते हैं।

पाव भाजी रेसिपी, (मुम्बई स्टाईल)

सामग्री:

* आलू: 3 उबले हुए और मैश किए हुए
* फूलगोभी: 1 कप बारीक कटी
* हरी मटर: ½ कप
* शिमला मिर्च: ½ कप कटी हुई
* प्याज़: 1 कटा हुआ
* टमाटर: 2 कटे हुए
* अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच
* पाव भाजी मसाला: 2 छोटे चम्मच
* लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच
* मक्खन: 3–4 बड़े चम्मच
* नींबू, हरा धनिया, नमक – स्वाद अनुसार

विधि:

1. सब्ज़ियाँ उबालें

* फूलगोभी और मटर को उबाल लें।

2. भाजी तैयार करना

1. एक पैन में मक्खन गरम करें।
2. प्याज़ डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
3. अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर भूनें।
4. अब टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएँ।
5. इसमें उबले आलू, शिमला मिर्च और उबली सब्ज़ियाँ डालें।
6. लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला और नमक मिलाएँ।
7. सब कुछ अच्छे से मैश करें।
8. आवश्यकता अनुसार पानी डालें और 10 मिनट धीमी आँच पर पकाएँ।

पाव सेंकना तवा गरम करें, मक्खन डालें और पाव को दोनों तरफ से कुरकुरा सेंक लें।

सर्व करें गरमागरम पाव भाजी को मक्खन, हरा धनिया और नींबू के साथ परोसें।

सर्दियों के स्पेशल गोंद के लड्डु

सामग्री (Ingredients)

* खाने वाला गोंद – कप
* देशी घी – 1 कप
* गेहूं का आटा – 1 कप
* बेसन – कप
* नारियल का बुरादा – कप
* गुड़ (पिसा हुआ) – 1 कप
* मखाना – 1 कप
* बादाम – कप (कटे हुए)
* काजू – कप (कटे हुए)
* कद्दू के बीज – कप
* इलायची पाउडर – 1 छोटा चम्मच
* सौंफ पाउडर – 1 छोटा चम्मच

बनाने की विधि (Step by Step)

1 गोंद तैयार करें कढ़ाही में 3–4 टेबलस्पून घी गरम करें। गोंद डालें और धीमी आँच पर फुलने तक तलें। ठंडा होने पर हाथ से या मिक्सी में दरदरा कूट लें।

2 मखाने भूनें उसी कढ़ाही में थोड़ा घी डालकर मखाने कुरकुरे होने तक भूनें। ठंडे करके दरदरे पीस लें।

3 ड्राई फ्रूट्स भूनें बादाम, काजू और कद्दू के बीज हल्के से भून लें। दरदरा काटकर अलग रखें।

4 आटा और बेसन भूनना अब कढ़ाही में बचा हुआ सारा घी डालें।

पहले गेहूं का आटा डालकर खुशबू आने तक भूनें। फिर बेसन डालें और धीमी आँच पर सुनहरा होने तक भूनें।

5 नारियल + मसाले अब नारियल का बुरादा डालें। इलायची पाउडर और सौंफ पाउडर मिलाएँ। अच्छी तरह मिक्स करें।

6 सब कुछ मिलाएँ अब भुना हुआ गोंद, मखाना और ड्राई फ्रूट्स डालें। आँच बंद कर दें।

7 गुड़ मिलाएँ मिश्रण हल्का गरम रहना चाहिए। अब पिसा हुआ गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएँ।

8 लड्डू बनाएं हाथों में थोड़ा घी लगाकर गर्म मिश्रण से लड्डू बाँध लें।

स्टोरेज टिप एयरटाइट डिब्बे में रखें, 20–25 दिन तक खराब नहीं होते।

फायदे

1. सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है
2. कमजोरी और जोड़ों के दर्द में फायदेमंद
3. डिलीवरी के बाद महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी

देसी स्वाद, देसी ताकत, एक लड्डू रोज़ – सेहत भरपूर !

पनीर की सब्जी अलग अलग स्वाद , एक बार खाओगे तो फिर हमेशा यही बनाओगे

सभी की विस्तृत रेसिपी नीचे लिखी हुई हैं।

1. पनीर टिक्का मसाला

सामग्री: पनीर टिक्का के लिए:

- २५० ग्राम पनीर, क्यूब्स में कटा हुआ
- 1/२ कप दही
- 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
- 1/२ चम्मच जीरा पाउडर
- 1/२ चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1 बड़ा चम्मच बेसन
- नमक स्वादानुसार
- २ बड़े चम्मच तेल

सामग्री, मसाला ग्रेवी के लिए:

- २ बड़े चम्मच तेल
- 1 बड़ा प्याज, बारीक कटा हुआ
- २ हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
- २ बड़े प्याज, बारीक कटे हुए
- २ लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई
- 1 बड़ा टमाटर, कटा हुआ
- 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1/२ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/२ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1/२ छोटा चम्मच नमक
- २ बड़े चम्मच मक्खन
- २ बड़े चम्मच हैवी क्रीम
- 1 बड़ा चम्मच टमाटर प्यूरी
- सजाने के लिए ताज़ा हरा धनिया

निर्देश-

1. एक पैन में मक्खन गरम करें, जीरा डालें और उसे चटकने दें।
२. कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
३. कटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें; 1 मिनट तक पकाएँ।
4. कटे हुए टमाटर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएँ।
5. टमाटर प्यूरी और हैवी क्रीम डालें और अच्छी तरह मिलाएँ।
6. पनीर के टुकड़े डालें और 5-7 मिनट तक या पनीर के स्वाद सोख लेने तक पकाएँ।
7. ताज़ा हरा धनिया डालकर नान या चावल के साथ परोसें!

3. मसालेदार पनीर अंगारा

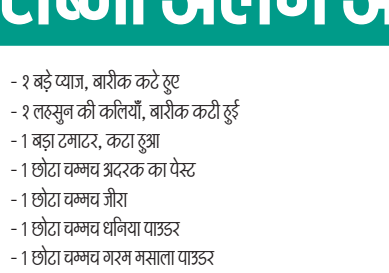

सामग्री-

२50 g पनीर
1 प्याज़ बारीक कटा हुआ
4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
5–6 लहसुन बारीक कटा हुआ
1 टुकड़ा अदरक बारीक काटा हुआ
३ टमाटर का पेस्ट
1 /२ चम्मच जीरा
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
नमक स्वादानुसार
1 चम्मच मक्खन
२ चम्मच घी/ तेल
1/२ कप ताज़ा क्रीम
२ चम्मच पनीर मसाला
1 चम्मच टमाटर सॉस
1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी

विधि-

* एक कढ़ाई में बटर और घी/तेल डाल कर गरम करे।
* जीरा , बारीक कटा लहसुन और अदरक डाल के भुने।
* बारिक कटी हरी मिर्च मिला दे। अब प्याज़ डाल कर भूने।
* प्याज़ भून जाने पर टमाटर का पेस्ट मिला दे और
* सभी सूखे मसाले, कसूरी मेथी, नमक मिला दे।
* पनीर मसाला और टमाटर सॉस भी मिला दे।
* कवर कर के 5 मिनट पकाये।
* क्रीम डाल कर कुछ देर और पकाएं।
* पनीर के टुकड़े मसाले में मिलाये।
* 1/२ कप पानी मिलाए और २ मिनट ढक कर सारा मसाला पनीर मे मिलने तक पकाये।
* हरे धनिये से गार्निश करें।

4. पालक खड़ा मसाला

सामग्री-

२ कटोरी कटी हुई पालक
1/२ कप पनीर
1/२ कटोरी ताजी क्रीम
२ चाय चम्मच देसी घी
1 चम्मच साबुत खड़ा मसाला (लंबी, काली मिर्च, जयफल, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पता आदि)
नमक
4 हरी मिर्च
1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
1/२ चम्मच जीरा
पनीर

रेसिपी -

* पैन में पानी गरम करें और पालक को 5 मिनट तक उबालें।
* अच्छे से ठंडे पानी से धोकर पालक और हरी मिर्च को मिक्सर में ब्लेंड कर लें।
* पैन में 1 चम्मच घी गरम करें खड़ा मसाला दाल दे.
* अदरक लहसुन का पेस्ट दाल पकाए..
* पालक पेस्ट डालें और अच्छे से मिक्स करें.
* 5 मिनट पकाए.
* मेश पनीर डालें और 5 मिनट और पकाए.
* नमक और ताज़ी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएँ।
* २ मिनट पकाएँ और गैस बंद कर दें...
* अलग पैन में 1 चम्मच घी गरम करें और जीरा डालें..
* 1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और तड़का लगा दे।
* पनीर डाल के कुछ देर ढक दे। तैयार,

5. चटपटे मसालेदार छोले पनीर

सामग्री-

1 कप 8 -10 घंटे भीगा काबुली चना (छोले)
1 कप कटा हुआ पनीर
1 प्याज बारीक कटा हुआ
३ टमाटर
२ -3 हरी मिर्च
1 टुकड़ा अदरक
1 चम्मच जीरा
साबुत गरम मसाला
हींग
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
नमक स्वाद के अनुसार
1/२ चम्मच गरम मसाला
1/२ चम्मच चना मसाला
२ बडे चम्मच तेल
२ बडे चम्मच क्रीम
हरा धनियां

रेसिपी -

* छोले को २ कप पानी, थोड़ा नमक के साथ 4-5 सिटी आने तक उबाल लें और
* गैस सिम पर 10 मिनट तक पकाएं।
* टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना ले।
* पैन में तेल गरम करें और जीरा , साबुत गरम मसाला और हिंग डाले।
* प्याज़ पकाए और हल्दी , मिर्ची और धनिया पाउडर ,चना मसाला मिला के पकाए।
* टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट मिला दे।
* तेल ऊपर आने तक मसाला पकाए और छोले मिला दे।
* 10 मिनट पकाए।
* पनीर और क्रीम मिलाए और 5 मिनिट ओर पकने दे।
* गरम मसाला, नमक मिला दे और हरे धनिये से गार्निश करे

6. बटर पनीर मसाला

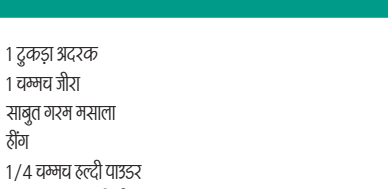

सामग्री-

२00 ग्राम पनीर
२ बड़े चम्मच मक्खन
1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
1 तेज पता
3 - 4 हरी मिर्च
२ टमाटर
1 प्याज
1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/२ चम्मच गरम मसाला
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
कटा हुआ हरा धनिया
1/२ कप काजू
1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम
नमक स्वादानुसार
1 छोटा चम्मच चीनी
1चम्मच कसूरी मेथी

विधि -

* मिक्सर में टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च बारीक पीस लें।
* काजू को गरम पानी में 15 मिनट तक भीगो दे।
* काजू को भी मिक्सर में पीस ले।
* कढ़ाही में मक्खन गरम करे।
* इसमें तेज पता और अदरक लहसुन और प्याज़ का पेस्ट डाल कर भुने।
* टमाटर का पेस्ट डालकर २-3 मिनट तक पकने दे।
* हल्दी पाउडर , लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाये।
* इसमें काजू का पेस्ट डालकर पकाये।
* अब धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चीनी, नमक और क्रीम डालकर थोड़ी देर तक धीमी आंच पर पकने दे।
* अच्छे से मसाला पकने तक पकाये।
* पनीर मिलाये और 5 मिनट तक पकाये
* कसूरी मेथी डालकर गैस बंद कर दें।
* सर्व करते समय एक पीस पनीर को तवे पर बटर से साथ सेक कर ताजी क्रीम से गार्निश करते हुए सर्व करें।

7. चटाखेदार पनीर की सब्जी - पनीर तूफ़ानी

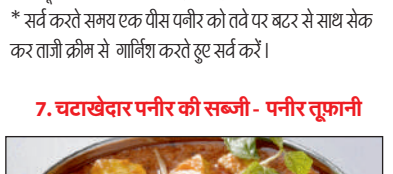

सामग्री-

२00 g पनीर
1 प्याज़
4 हरी मिर्च
5–6 लहसुन बारीक कटा हुआ
1 टुकड़ा अदरक बारीक काटा हुआ
३ टमाटर का पेस्ट
1 /२ चम्मच जीरा
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
नमक स्वादानुसार
1 चम्मच मक्खन
२ चम्मच घी/ तेल
1/२ कप ताज़ा क्रीम
२ चम्मच पाव भाजी मसाला
1 चम्मच टमाटर सॉस

विधि

* एक कढ़ाई में बटर और घी/तेल डाल कर गरम करे।
* जीरा , बारीक कटा लहसुन और अदरक डाल के भुने।
* बारिक कटी हरी मिर्च मिला दे।
* अब प्याज़ का पेस्ट डाल कर भुने।
* पेस्ट भुन जाने पर टमाटर का पेस्ट मिला दे और
* सभी सूखे मसाले मिला दे।
* पाव भाजी मसाला और टमाटर सॉस भी मिला दे।
* कवर कर के 5 मिनट पकाये।
* क्रीम डाल कर कुछ देर और पकाएं।
* 50 g पनीर कद्दूकस कर के मसाले में डाल कर अच्छे से मिलाये।
* बाकी पनीर के पीस कर के मिला दे।
* २ मिनट सारा मसाला पनीर मे मिलने तक पकाये। पनीर तूफ़ानी तैयार।

8. स्वादिष्ट पालक पनीर

सामग्री -

२00 g कटा हुआ पालक
२00 g कटा हुआ पनीर
1 बारिक कटा प्याज़
२ बड़े चम्मच देसी घी /तेल
1 चम्मच साबुत खड़ा मसाला (लौंग , काली मिर्च, जायफल , दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पता आदि)
नमक स्वादानुसार
4 हरी मिर्च
1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
1/२ चम्मच जीरा
1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

रेसिपी -

* पैन में पानी गरम करें और पालक को 1 मिनट तक गरम पानी में डुबो के निकाल ले और ठंडे पानी में कुछ देर डुबो दे।
* पालक और हरी मिर्च को मिक्सर में ब्लेंड कर ले.
* पैन में 1 चम्मच घी गरम करें .
* खड़ा मसाला डाले .
* अदरक लहसुन का पेस्ट पकाए..
* बारिक कटा प्याज़ डाल कर पकाये.
* पालक पेस्ट डालें और अच्छे से मिक्स करें.
* 5 मिनट पकाए.
* पनीर डालें और 5 मिनट और पकाए.
* नमक डालें और अच्छे से मिलाएँ।
* २ मिनट पकाएँ और गैस बंद कर दें
* अलग पैन में 1 चम्मच घी गरम करें और जीरा डालें..
* 1/२ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और पालक में तड़का लगा दें .पालक पनीर तैयार

9. मलाईदार पनीर महारानी

सामग्री-

- २50 ग्राम पनीर, क्यूब्स में कटा हुआ
- २ बड़े प्याज, बारीक कटे हुए
- २ लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई
- 1 बड़ा टमाटर, कटा हुआ
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
- 1/२ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/२ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)
- 1/२ कप हैवी क्रीम या मलाई
- 1/4 कप मक्खन या घी
- स्वादानुसार नमक
- सजाने के लिए ताज़ा हरा धनिया

निर्देश-

1. एक पैन में मक्खन/घी गरम करें, जीरा डालें और उसे चटकने दें।
२. कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
३. कटा हुआ लहसुन डालें और एक मिनट तक भूनें।
4. कटे हुए टमाटर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर (अगर इस्तेमाल कर रहे हों) डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएँ।
5. पनीर के टुकड़े डालें और २-३ मिनट तक पकाएँ।
6. गाढ़ी क्रीम/मलाई डालें और अच्छी तरह मिलाएँ। इसे 5-7 मिनट तक या ग्रेवी के गाढ़े होने तक धीमी आँच पर पकने दें।
7. स्वादानुसार नमक डालें।

"यज्ञ और हवन में अंतर"

पिंकी कुंडू

हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन दोनों ही अग्नि आधारित महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिनमें मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति दी जाती है। दोनों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, वातावरण शुद्ध करना और मनोकामनाएं पूरी करना है। हालांकि, आम बोलचाल में इन्हें एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों और परंपरा के अनुसार इनमें स्पष्ट अंतर है।

मुख्य अंतरः-

यज्ञ (Yajna/Yagya):-

* यह एक व्यापक और वैदिक अनुष्ठान है, जो बड़े पैमाने पर किया जाता है।

* इसमें कई देवताओं का आह्वान, वेद मंत्रों का उच्चारण, ऋत्विक (पुरोहितों) की उपस्थिति और दक्षिणा (दान) अनिवार्य होती है।

उद्देश्यः- विशेष मनोकामना पूर्ति, लोक कल्याण, अनिष्ट निवारण या सामाजिक/सार्वजनिक लाभ (जैसे वर्षा, विजय आदि)।

समयः- लंबा (घंटों, दिनों या महीनों तक) और नियम कठिन।

उदाहरणः- अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या बड़े धार्मिक आयोजन।

हवनः-

* यह यज्ञ का छोटा या लघु रूप है, जो घरेलू या व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है।

* मुख्य रूप से हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को हवि (आहुति सामग्री जैसे घी, जड़ी-बूटियां) पहुंचाने की प्रक्रिया।

उद्देश्यः- शुद्धिकरण, गृह शांति, वास्तु दोष निवारण, नवग्रह शांति या दैनिक पूजा का हिस्सा।

समयः- छोटा (कुछ घंटे) और सरल।

उदाहरणः- गृह प्रवेश, विवाह या पूजा के अंत में किया जाने वाला हवन।

यज्ञ और हवन के लिए नियम

* यज्ञ कठिन, कई ऋत्विक और दक्षिणा आवश्यक

* हवन सरल, घर का सदस्य भी कर सकता है।

यज्ञ और हवन के उद्देश्य

*** यज्ञ लोक कल्याण, विशेष संकल्प**

* हवन शुद्धि, दैनिक पूजा, छोटी कामनाएं।

आवश्यक तत्व देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा मुख्यतः अग्नि और हवि।

संक्षेप में:- हवन यज्ञ का एक अंग या सरलीकृत रूप है। आधुनिक समय में ज्यादातर घरेलू अनुष्ठानों में हवन ही किया जाता है, जबकि बड़े यज्ञ दुर्लभ हैं। दोनों से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

भैरव बाबा को कालयुग का रक्षक

पिंकी कुंडू

भैरव बाबा की शक्ति "अदृश्य भयों, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं" को काटने वाली मानी गई है।

1. भैरव = शिव का उग्र रूप भैरव, भगवान शिव का वह रूप है, जो दुष्ट शक्तियों का नाश करता है और भक्त की रक्षा करता है।

2. भैरव + शक्ति =

* सुरक्षा
* जागरूकता
* अदृश्य खतरों से रक्षा
* तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है — "शक्ति बिना भैरव अधूरा, भैरव बिना शक्ति निस्तेज।"

3. क्यों शनिवार विशेष है?

हिन्दू कलैंडर के अनुसार:

मार्गशीर्ष और पौष के शनिवार भैरव उपासना का सबसे ऊर्जावान समय होते हैं। इन दिनों लोगः

* सरसों का तेल दीप
* नारियल
* काले तिल

अर्पित करते हैं।

4. प्रसिद्ध भैरव मंदिरों का महत्वः

* काशी—कलभैरव मंदिरः "Kashi Guardian" कहा जाता है।

* उज्जैन—काला भैरवः यहाँ की मदिरा-अर्पण परंपरा विश्व प्रसिद्ध है।

* कोटि भैरव—जम्मूः रक्षण शक्ति के लिए प्रसिद्ध।

* इन मंदिरों में शनिवार को भक्तों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है।

मुख्य संदेशः "भैरव बाबा = भय, बाधा, नकारात्मकता—सबका अंत। जहाँ भैरव हैं, वहाँ सुरक्षा है।"

मां कामख्या के मुख्य प्रसाद (वस्त्र, कडा.व यंत्र का तांत्रिक महत्व)

पिंकी कुंडू

कामख्या देवी असम के कामरूप जिले में, स्थित कामख्या मंदिर की प्रमुख देवी हैं। तंत्र साधना में, इनकी बहुत महत्ता है और इस मंदिर के प्रसाद के रूप में मिलने वाली वस्तुएं जैसे कामख्या वस्त्र, कामख्या कड़ा, और कामख्या यंत्र का तांत्रिक महत्व, विशेष रूप से माना जाता है।

1- कामख्या वस्त्र - कामख्या वस्त्र, जिसे ₹अंबुवाची वस्त्र₹ भी कहा जाता है। एक विशेष लाल रंग का कपड़ा है, जिसे माता कामख्या के वार्षिक अंबुवाची मेले के दौरान, देवी के गर्भगृह से प्राप्त किया जाता है। तांत्रिक दृष्टि से, इस वस्त्र को अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। इसे अपने पास रखने से, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है और यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है।

2- कामख्या कड़ा -- कामख्या कड़ा, एक विशेष प्रकार का धातु का कड़ा है, जिसे देवी कामख्या के आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। तांत्रिक मान्यता के अनुसार, इसे पहनने से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसकी तांत्रिक साधनाओं में सफलता मिलती है। यह बुरी दृष्टि और नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है।

3- कामख्या यंत्र -- कामख्या यंत्र, एक विशेष तांत्रिक यंत्र है। जिसे तांत्रिक साधनाओं में, उपयोग किया जाता है। यह यंत्र देवी कामख्या के आशीर्वाद को प्राप्त करने और तांत्रिक क्रियाओं में सफलता पाने के लिए, उपयोग किया जाता है। इसे घर में स्थापित करने से, घर की रक्षा होती है और समृद्धि आती है। साधक, इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करके, नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं।

इन तीनों वस्तुओं का तांत्रिक महत्व, विशेष रूप से माना जाता है और इनका उपयोग साधक, अपनी साधना में सफलता पाने, सुरक्षा, और समृद्धि के लिए करते हैं।

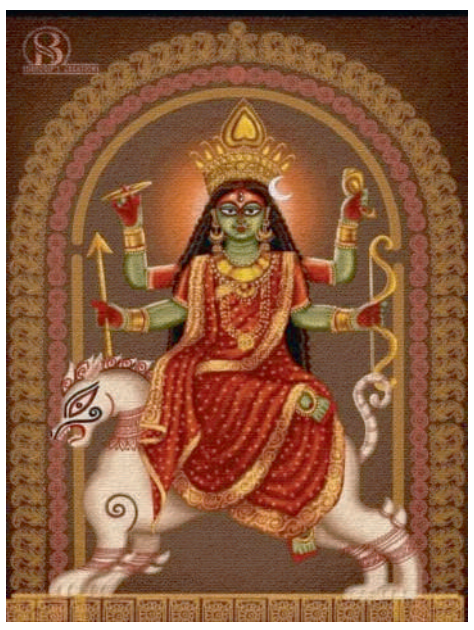

मौनी अमावस्या --- माघी अमावस्या

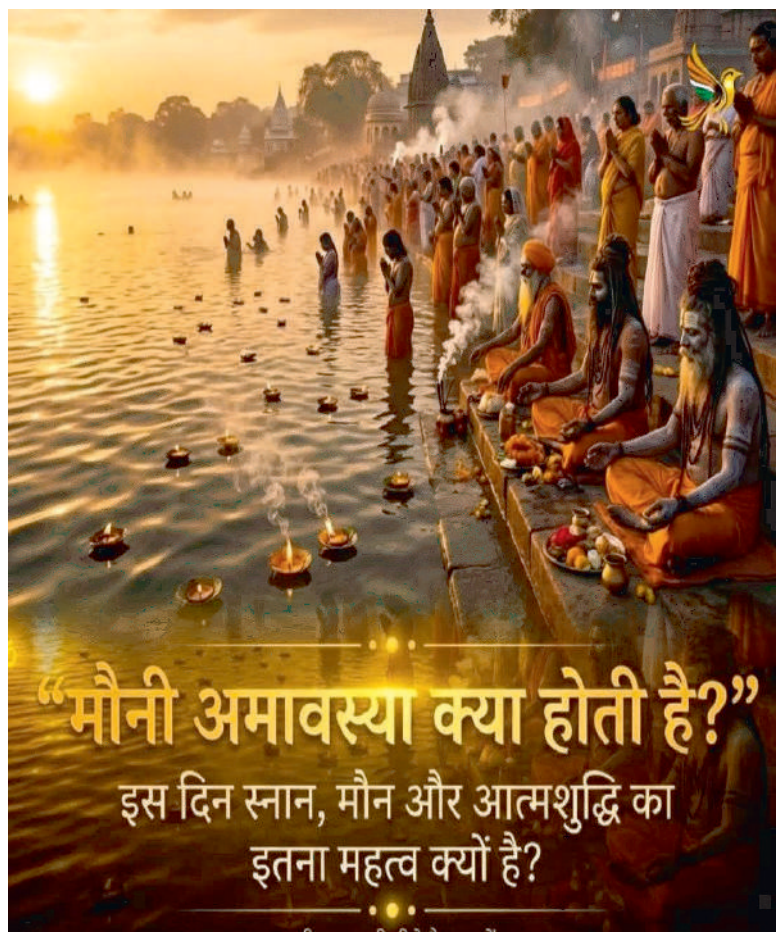

पिंकी कुंडू

मौनी अमावस्या को ही माघी अमावस्या भी कहा जाता है। यह तिथि माघ मास के मध्य में आती है और हिंदू पंचांग की सबसे पवित्र अमावस्याओं में गिनी जाती है।

मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत के समान हो जाता है,

इसीलिए इस दिन

* गंगा, यमुना या संगम में स्नान

* पाप क्षय और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है।

* उत्तर भारत में पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक नित्य स्नान की परंपरा है, जिसमें मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण दिन होती है।

कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या को

"अमृत योग" और "मुख्य स्नान पर्व" कहा जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं।

"मौनी" शब्द का अर्थ है मौन। इस दिन कई भक्त

* मौन व्रत रखते हैं
* कम बोलते हैं और
* मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं।

मौनी अमावस्या का सार यही है — शरीर, मन और वाणी — तीनों की शुद्धि।

क्या आप जानते हैं जीवन के अंतिम पलों में तुम्हें किन 7 बातों का पश्चाताप होगा

पिंकी कुंडू

जब कोई व्यक्ति जीवन की आख़िरी दहलीज़ पर होता है, तब उसकी नज़र में "जरूरी" चीज़ें अचानक बहुत साफ़ हो जाती हैं। वहाँ दिखता है कि असली पूँजी रिश्ते, प्रेम, क्षमा, सत्य, कृतज्ञता, वर्तमान में जीना और किसी बड़े अर्थ से जुड़कर जीना है — न कि केवल उपलब्धियाँ, दिखावा या दूसरों की स्वीकृति।

7 मुख्य सीख (मरते हुए लोगों की बातों से निकलने वाले जीवन-सूत्र)

1. जो सच में हो, वही जियो — अपने मूल्य, अपने सत्य, अपनी आत्मा की आवाज़ के साथ।

2. रिश्तों को समय दो — अंत में "कौन साथ था" याद रहता है, "क्या था" नहीं।

3. क्षमा और मेल-मिलाप — अधूरी बातों का बोझ भारी होता है; हल्के होकर विदा होना सबसे बड़ा सुख है।

4. वर्तमान में जीना — कल की चिंता और बीते कल का पछतावा— दोनों जीवन चुरा लेते हैं।

5. कृतज्ञता — छोटी-छोटी नेमतें (सांस, धूप, भोजन, परिवार) ही असली चमत्कार हैं।

6. प्रेम और सेवा — किसी के काम आना, किसी का हाथ थामना—यही जीवन का धर्म-रस है।

7. छोड़ना सीखो — अहंकार, तुलना, कंट्रोल, और "मैं सही" की ज़िद।

हम जीवन को अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास समय अनंत है। जैसे कल भी सुबह होगी, कल भी हम "बाद में" कह देंगे — कल बात कर लेंगे, कल माफ कर देंगे, कल माँ - बाप के पास बैठ लेंगे, कल अपने मन की सुन लेंगे। पर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि "कल" कभी-कभी नहीं आता और यही बात मृत्युशय्या पर लेटा मनुष्य कहता है — मैंने बहुत कुछ पाया पर काश, मैंने सच ज्यादा जिया होता। मैंने रिश्तों को समय दिया होता। मैंने क्षमा का जल जल्दी छिड़का होता। मैंने "मैं" को थोड़ा कम, "हम" को थोड़ा ज्यादा चुना होता।

रामायण भी तो यही सिखाती है — राम के पास राज्य था, वैभव था, सुरक्षा थी पर जब समय आया, उन्होंने कहा —धर्म पहलेऔर चले गए वन की ओर —सत्य की ओर।

सोचिए, वनवास केवल जंगल जाना नहीं था — वनवास था अहंकार का त्याग, वनवास था सुविधा की लत छोड़ना, वनवास था सत्य का चयन — कठिन होते हुए भी।

और भरत? भरत ने तो वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं —

अधिकार होते हुए भी त्याग। आज हम छोटे-छोटे अधिकारों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, और भरत ने सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा — "मेरा राज्य नहीं... मेरा भाई, मेरा धर्म, मेरा प्रेम बड़ा है।"

हनुमान जी को देखिए — उनकी ताकत का रहस्य क्या था? सेवा। वो उड़ते थे क्योंकि उनका "मैं" छोटा था और "राम" बड़ा था। जिस दिन जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य जुड़ जाता है, उस दिन इंसान साधारण नहीं रहता।

और जटायु — उसके पास जीतने की गारंटी नहीं थी, पर उसने कहा — "धर्म के लिए लड़ना ही मेरा धर्म है।" अंत में किसी के जीवन का मूल्य उसकी जीत से नहीं, उसकी निष्ठा से तय होता है।

आज यह पढ़ते हुए बस एक काम कीजिए — अपने मन से पूछिएः

* मैं किससे नाराज़ हूँ? क्या आज क्षमा कर सकता हूँ?

* किससे कहना बाकी है—"मैं तुम्हें चाहता हूँ/चाहती हूँ"?

* किस रिश्ते को मैंने "बाद में" पर टाल रखा है?

* मैं किस दिखावे के पीछे अपना सच दबा रहा हूँ?

* मैं क्या पकड़कर बैठा हूँ—जो छोड़ दूँ तो शांति आ जाए?

क्योंकि जीवन का अंतिम पाठ बड़ा सरल है —

1. ₹अंत में ट्रॉफियाँ नहीं बोलतीं-रिश्ते बोलते हैं।

2. ₹अंत में बहसें नहीं बचतीं-क्षमा बचती है।

3. ₹अंत में शोर नहीं-शांति बचती है।

और रामायण कहती है — जिसने जीवन में ही अपने भीतर का "रावण" (अहंकार, क्रोध, मोह) मार लिया, उसके लिए मृत्यु डर नहीं, एक शांत द्वार बन जाती है।

आज ही, अभी —

* एक संदेश कर दीजिए,
* एक फोन कर दीजिए,
* एक क्षमा मांग लीजिए,
* एक क्षमा दे दीजिए,

और अपने सत्य के साथ एक छोटा सा कदम उठा दीजिए।

क्योंकि यही "जीना" है। बाकी सब तैयारी है।

क्या आप जानते हैं जिस शक्ति ने करोड़ों में से आपको चुना, वही शक्ति आज भी आपके साथ है, फिर डर क्यों?

पिंकी कुंडू

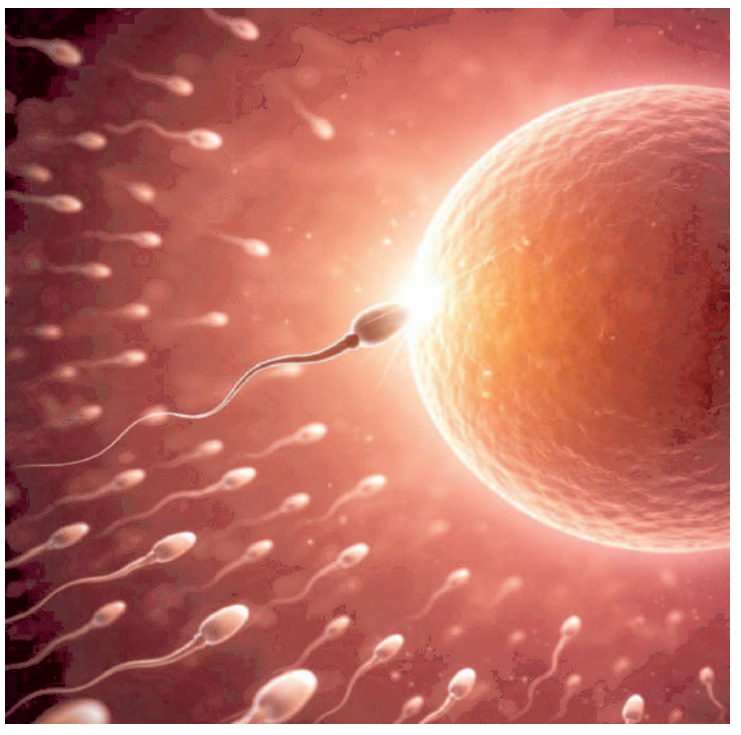

एक तंदुरुस्त पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ सहवास करने पर जो वीर्य निकलता है, उसमें लगभग चार करोड़ (40 मिलियन) शुक्राणु होते हैं।

सरल शब्दों में कहें तो — यदि सभी को सही स्थान, यानी गर्भाशय, मिल जाए तो सैद्धान्तिक रूप से चार करोड़ संतानों का जन्म हो सकता है।

पर वास्तविकता यह है कि ये सभी शुक्राणु माँ की बच्चेदानी की ओर पागलों की तरह दौड़ते हैं और इस कठिन और लंबी यात्रा में अधिकांश रास्ते में ही थककर नष्ट हो जाते हैं।

अन्ततः केवल 300 से 500 शुक्राणु ही गर्भाशय तक पहुँच पाते हैं और इन 300 – 500 में से भी केवल एक — सबसे मजबूत, सबसे सक्षम, सबसे दृढ़ — अन्ततः अण्डाणु को निषेचित करता है।

क्या आप जानते हैं वह खुशनसीब, वह विजेता शुक्राणु कौन था?

* वह आप हैं।
* वह मैं हूँ।
* वह हम सब हैं।

जब आप पहली बार दौड़े थे,

* तब न आपकी आँखें थीं,
* न हाथ-पैर,
* न चेहरा,
* न दिमाग़,
* न डिग्रियाँ,
* न ही कोई प्रमाण-पत्र।

फिर भी — आप जीत गए।

बहुत से भ्रूण माँ के गर्भ में ही नष्ट हो गए,

पर आप टिके रहे। आपने पूरे नौ महीने पूरे किए और इस संसार में आए।

और आज आज आप घबराते हैं?

* थोड़ी-सी असफलता पर मायूस हो जाते हैं?

* आखिर क्यों?

जब आपने तब जीत हासिल की -- जब आपके पास कुछ भी नहीं था — तो आज, जब आपके पास

* परिवार है,
* दोस्त हैं,
* ज्ञान है,
* अनुभव है,
* साधन हैं — तो आप हार कैसे मान सकते हैं?

आप पहले भी जीते थे, बीच में भी जीते, और आगे भी जीत सकते हैं।

बस आवश्यकता है — परमात्मा (या प्रकृति) पर अटूट विश्वास और सच्ची लगन से निरन्तर प्रयास की।

जिस शक्ति ने करोड़ों में से आपको चुना, वही शक्ति आज भी आपके साथ है। जैसे तब आपको जीतने का अवसर दिया गया था, वैसे ही आज भी — वह आपको कामयाब अवश्य बनाएगा।

वायु प्रदूषण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, सिटीजन चार्टर का पालन करें नागरिक

जिला में ग्रैप-तीन के प्रतिबंध सख्ती से लागू : डीसी

परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़/झज्जर,। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) स्टेज-तीन की पाबन्दियां लगाई गई हैं जिसके तहत जिले में सभी एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों और प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद झज्जर, बहादुरगढ़ व बेरी पालिका क्षेत्र में आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना की जा रही है। बहादुरगढ़ व झज्जर में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एंटी स्मोग गन कार्य कर रही है तथा सड़कों पर टेंकरों द्वारा वाटर सप्रिंकलिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों की अनुपालना करते प्रदूषण स्तर को कम करने में सहयोग करें।इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी प्रदूषण नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जा रही है।

डीसी ने बताया कि ग्रेप तीन के चलते जिला में निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी व सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री की वाहनों में आवाजाही बंद रहेगी। वहीं सड़कों की साफ सफाई मशीनों से करनी होगी। सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव व एंटी-स्मॉग गन का उपयोग बढ़ाना होगा। कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक रहेगी।

नागरिक क्या करें

* डीसी ने कहा कि विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग

व अस्वस्थ व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें।सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग व वैकल्पिक साधनों का अधिक उपयोग करें। आमजन निजी वाहनों का प्रयोग कम करें।

घर एवं कार्यालय में धूल नियंत्रण रखें, गीली सफाई (वेट क्लीनिंग) अपनाएं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मास्क का प्रयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों व एडवाइजरी का पालन करें।

नागरिक क्या न करें

•डीसी ने बताया कि ग्रेप तीन की पाबंधियों के चलते नागरिक खुले में कचरा, पत्तियां या किसी भी प्रकार का अवशेष न जलाएं। किसी भी प्रकार का निर्माण/ध्वस्तीकरण कार्य न करें। आपातकालीन/अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) डीजल जेन सेट का उपयोग ना करें। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त न हों।

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि वायु गुणवत्ता में शीघ्र सुधार लाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेप-3 प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एच.एस.एच.डी.ए. मिशन निदेशक ने किया झज्जर जिले का दौरा

मिशन निदेशक ने की जिला में चल रही बागवानी योजनाओं की समीक्षा

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर,। हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी (एच.एस.एच.डी.ए.), पंचकूला के मिशन निदेशक डॉ. जोगेन्द्र सिंह घणघस ने जिला झज्जर का दौरा करते हुए विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। झज्जर पहुँचने पर जिला बागवानी अधिकारी डॉ राजेन्द्र सिंह ने मिशन निदेशक का स्वागत किया और जिला में चल रही बागवानी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मिशन निदेशक ने उद्यान विकास अधिकारी, बेरी तथा जिला उद्यान अधिकारी, झज्जर के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कार्यालय व्यवस्थाओं के साथ-साथ फील्ड स्तर पर क्रियान्वित की जा रही बागवानी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

उन्होंने उद्यान अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वास्तविक आकलन करना, किसानों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना तथा किसानों से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त कर योजनाओं को और अधिक जन-उपयोगी बनाना है। निदेशक ने बैठक के दौरान जिला एवं खण्ड स्तर के अधिकारियों को आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने, उच्च बागवानी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने तथा किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी व संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। दौरे के क्रम में मिशन निदेशक ने किसानों से भी सीधा संवाद किया। इस अवसर पर डीएचओ डॉ राजेन्द्र सिंह, डॉ. नीतू यादव, तकनीकी सहायक, सहायक परियोजना अधिकारी ज्योति, खण्ड बागवानी सलाहकार प्रदीप कुमार सहित अन्य फील्ड स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच शिविर 21 जनवरी को

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर। जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बंदियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत 21 जनवरी बुधवार को प्रातः 9:30 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास कैदियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना: फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 19 व 20 जनवरी को अंतिम अवसर

नगर परिषद झज्जर के ईओ देवेंद्र सिंह ने दी जानकारी

झज्जर, 17 जनवरी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत झज्जर में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लाभार्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। योजना के अंतर्गत जिन पात्र आवेदकों ने अब तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें नगर परिषद प्रशासन की ओर से सोमवार 19 जनवरी और मंगलवार 20 जनवरी को सत्यापन के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यह जानकारी नगर परिषद झज्जर के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत झज्जर में कुल 407 लाभार्थियों ने फ्लैट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। इनमें से अब तक 235 आवेदकों का फिजिकल वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि 134 आवेदकों का सत्यापन अभी शेष है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शेष आवेदकों को निर्धारित तिथियों 19 और 20 जनवरी को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। ईओ देवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक सत्यापन न कराने वाले आवेदनों को स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उन्होंने योजना से जुड़े सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं और समय पर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कराएं, ताकि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास आवंटन की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

बच्चों के प्रति यौन शोषण, दुर्व्यवहार की घटनाओं की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई को दें : डीसी

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं यौन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया है पोक्सो अधिनियम

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के यौन अपराध, दुव्यवहार या शोषण की घटनाओं को कभी भी नजरअंदाज न किया जाए। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा संबंधित विभागों को दी जाए, ताकि समय रहते पीड़ित बच्चे को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जा सके।

उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पोक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं यौन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अश्लील इशारे करना, अश्लील वीडियो या चित्र दिखाना अथवा किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने समाज के प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से माता-पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, विद्यालय प्रबंधन तथा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक गतिविधि की जानकारी गोपनीय रूप से संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं।

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपत्तिजनक घटना की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्डलाइन 1098 अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई, झज्जर (कमरा नंबर-304, लघु सचिवालय, झज्जर) को दी जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित बच्चे की पहचान को गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है तथा पीड़ित की पहचान उजागर करना या जानकारी छिपाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को एक सुरक्षित, संरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी बच्चों के शोषण से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हो, तो चुप न रहें और तुरंत आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी सतर्कता किसी मासूम का भविष्य सुरक्षित कर सकती है।

शीर्षक- मौनी अमावस्या

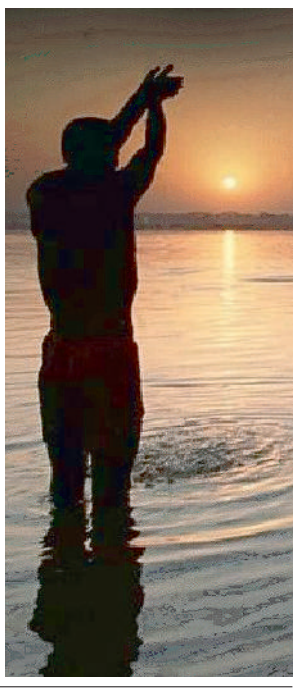

माघी मौनी अमावस्या की तिथि विशेषकर है पितरों को समर्पित,
पितरों को इस दिन तर्पण से प्रसन्न कर आशीर्वाद करें अर्जित,
गंगा स्नान दान ध्यान धार्मिक पठन पाठन का अनंत पुण्यफल,
जीवन को "आनंद" से भरने का माघ उत्सव देता हैं अमृतफल ।

गंगासागर में डुबकी लगानें का इस तिथि है बहुत ही विशेष महात्म,
संचित कर्मों से मुक्ति पाने का योग है अति ही शुभकंर और उत्तम,
तन मन से जब भगवत कृपा से होती हैं पूर्णत: विकारों से शुद्धि,
जागृत होती है अनंत की अनुभूति और आत्मिक सुख सिद्धी ।

अमावस्या की तिथि संकेत देती हैं अंधकार का अंत और पुन:निर्माण,
आशावादी हो मनुष्य निराशा त्याग अपने लक्ष्य की ओर दे ध्यान,
मन को शांत कर चैतन्य करें भीतर के दिव्य आत्मिक प्रकाश को,
पितरों और देवी-देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त करें जीवन आल्हाद को ।

वैदिक परंपराओं,पौराणिक ऋचाओं में निहित है वैज्ञानिक समावेश,
नव ग्रहों की अनुकूलता से बढ़ता पारिवारिक प्रीति सुख परिवेश,
सभी का हो मंगल आत्मिक सुख शांति वैभव की करूँ मैं कामना,
माघी अमावस्या पर अंत हो दु:खों का सफल हो सच्ची साधना ।
-मोनिका डागा "आनंद"

फॉर्मर आईडी कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक : एसडीएम

एग्री स्टैक फार्मर आईडी को लेकर रविवार को भी लगेंगे कैम्प

एसडीएम डॉ रमन गुप्ता ने बादली क्षेत्र के किसानों से एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनवाने का किया आह्वान

बादली(झज्जर) 17 जनवरी। बादली उपमंडल सहित जिलाभर में पिछले कई दिनों से डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के मार्गदर्शन में किसानों की एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाने का कार्य जोरों पर हैं। विभागीय अधिकारियों की टीमें गांव गांव पहुंचकर किसानों की आईडी बनाने का कार्य कर रही हैं। यह जानकारी बादली के एसडीएम डॉ रमन गुप्ता ने दी।

एसडीएम ने बताया कि रविवार को भी किसानों की आई डी बनाने का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। यह आईडी प्रत्येक किसान के लिए जरूरी है, इस आईडी के बनने के बाद ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि उपमंडल के किसान अपने गांवों में यह आईडी जल्द से जल्द बनवाकर विभागीय टीमों का सहयोग करें। दूसरे पडौसी

इन दस्तावेजों से बनेगी किसानों की फार्मर आईडी

डॉ रमन गुप्ता ने बताया कि एग्रीस्टैक आईडी बनवाने के लिए किसानों को मोबाईल नंबर से लिंक आधार कार्ड, पिछली फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण की प्रति या जमीन से जुड़ी फर्द साथ लाना जरूरी है। एग्रीस्टैक आईडी के लिए किसान स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बादली उपमंडल के किसानों से जल्द से जल्द फॉर्मर आईडी बनवाने का आह्वान किया है।

किसानों को भी आईडी बनवाने के लिए प्रेरित करें। भविष्य में योजनाओं का लाभ एग्री स्टैक आईडी से ही मिलेगा। यह आईडी प्रत्येक किसान के लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी गांवों में शैड्यूल के अनुरूप एग्रीस्टैक आईडी जनरेट कराएं व साथ ही अधिकारी फार्मर आईडी कार्य की नियमित मानिटिरिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि शनिवार को गांव खेड़ी जट्ट में कार्यरत फॉर्मर आईडी कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी भैया राम और तकनीकी अधिकारी डॉ रोहित की टीम ने एग्री स्टैक आईडी कैम्प का निरीक्षण किया और किसानों से आईडी बनवाने के लिए प्रेरित किया।

फार्मर आईडी से इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

एसडीएम डॉ रमन गुप्ता ने कहा कि फार्मर आईडी बनाने का मुख्य मकसद किसानों की पहचान को सुरक्षित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं के लाभ तक पहुंच प्रदान करना है। प्रत्येक किसान की एग्री स्टैक फार्मर आईडी हो, इसके लिए अधिकारी मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने बताया कि भविष्य में बैंक ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि, क्षतिपूर्ति, खाद व बीज के अलावा कृषि अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ आदि एग्री स्टैक फार्मर आईडी के माध्यम से दी जाएगी।

जनाधार करिए अमल...!

महाराष्ट्र के 'निकाय' में खिला कमल,
विपक्ष बढाए जनाधार करिए अमल।
तीन दशकों के बाद से ठाकरे परिवार,
अब मुम्बई की सत्ता से हुआ हैं बाहर।

जब दो दशकों बाद एक हुए दो भाई,
मिलन का समय गलत सत्ता हैं पराई।
अजीत दादा-पवार का पॉवर सुप्रिया,
दोनों एक होकर कुछ भी नहीं किया।

भई कमाल तो कर गए हैं अन्नामलाई,
उन्हें रसमलाई कह क्यों? हंसी उड़ाई।
विपक्षी अलग होकर क्यों चुनाव लड़े,
ओवेसी विजयी होकर हैं सामने खड़े।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

विज़न 2047 और भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का संकल्प:आदर्श और यथार्थ के बीच खड़ा धारा 17-ए का सवाल-ईमानदारी की ढाल या भ्रष्टाचार का हथियार-एक समग्र विश्लेषण

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन कर धारा 17-ए जोड़ी गई हैं आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार संभवत :नीतिगत फैसलों टेंडर और ठेके,लाइसेंस और अनुमति,खनन,भूमि बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ,रक्षा और सार्वजनिक खरीद में हैं,यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए,तो भ्रष्टाचार कानून का अस्तित्व ही सीमित हो जाता है -

एडवोकेट किशन षणमुख दास भवानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत जब अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, तब विज़न 2047 के तहत एक ऐसा राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है जहाँ भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता केवल नारा नहीं, बल्कि शासन का मूल चरित्र हो। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में नीतिगत संकल्प तभी सफ़ल होते हैं, जब उन्हें लागू करने वाले कानूनी ढाँचे में विरोधाभास न हों।आज भारत में यही विरोधाभास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के रूप में सामने खड़ा है, जो एक ओर ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा का दावा करती है,तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार- मुक्त शासन के लक्ष्य को कमजोर करती प्रतीत होती है।मैं एडवोकेट किशन भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए केवल आर्थिक नुकसान का कारण नहीं होता,बल्कि यह जनता केविश्वास संस्थाओं की साख और कानून के राज को भीतर से खोखला कर देता है। विश्व बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच बार-बार यह रेखांकित कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार सीधे तौर पर गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति को बढ़ाता है।भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में,जहाँ करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं और निर्णयों पर निर्भर हैं, वहाँ भ्रष्टाचार का प्रभाव और भी विनाशकारी हो जाता है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को इसी पृष्ठभूमि में बनाया गया था। इसका मूलउद्देश्य था लोकसेवकों को जवाबदेह बनाना रिश्वत,पद के दुरुपयोग और सत्ता के दुराचार को आपराधिक कृत्य घोषित करना,जनता के संसाधनों और अधिकारों की संवैधानिक रक्षा करना।इस अधिनियम की आत्मा यह मानकर चलती थी कि लोकसेवक का पद एक ट्रस्ट है, न कि विशेषाधिकार।वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत धारा 17-ए जोड़ी गई। इस धारा के अनुसार, किसी भी लोकसेवक के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों या की गई सिफारिशों के संबंध में बिना पूर्व अनुमति कोई जांच, पूछताछ या एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती,यह अनुमति संबंधित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जानी होती है।सरकार का तर्क है कि हर दिन अधिकारी ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है,हर निर्णय सभी को पसंद नहीं आता,यदि हर असंतुष्ट व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सके, तो इससे प्रशासन ठप हो जाएगा।अधिकारी भय के माहौल में काम करेंगे, जिससे विकास की गति धीमी होगी।सरकार के अनुसार, धारा 17-ए ईमानदार अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने की एक आवश्यक ढाल है।लेकिन मूल प्रश्नः क्या सुरक्षा के नाम पर जांच पर ताला ?यहीं से विवाद शुरू होता है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वतंत्रता होती है। यदि जांच शुरू करने के लिए भी उसी शासन से अनुमति लेनी पड़े, जिसके खिलाफ जांच संभावित है, जिसकी नीतियों और फैसलों में भ्रष्टाचार की आशंका है,तो क्या यह व्यवस्था जांच को निष्पक्ष बना सकती है ?आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान जांच एजेंसियों को नाममात्र की स्वतंत्रता देता है और उन्हें कार्यपालिका के अधीन कर देता है।

साथियों बात कर हम नीतिगत भ्रष्टाचारःसबसे बड़ा और सबसे अदृश्य खतरा इसको समझने की करें तो भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है।आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नीतिगत फैसलों में होता है, टेंडर और ठेके,लाइसेंस और अनुमति,खनन, भूमि, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ,रक्षा और सार्वजनिक खरीद यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार कानून का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाता है।राजनीतिक संरक्षण और हितों का टकराव-धारा 17-ए का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह राजनीतिक संरक्षण को संस्थागत रूप दे सकती है। यदि किसी मामले में सरकार स्वयं शामिल हो,या उच्च स्तर पर मिलीभगत हो,तो अनुमति मिलने की संभावना न के बराबर रह जाती है। यह स्थिति हितों के टकराव का क्लासिक उदाहरण है।

साथियों बात अगर हम सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को समझने की करें तो इसी चिंता को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस17 ए धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं।याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (न्यायपूर्ण प्रक्रिया) के खिलाफ है।यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है।जांच में देरी से साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं,गवाह प्रभावित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है।जैसे-जैसे समय बीतता है,फाइलें बदली जा सकती हैं दस्तावेज गायब हो सकते हैं,डिजिटल सबूत मिटाए जा सकते हैं,गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है।यदि जांच शुरू होने में ही महीनों लग जाएं, तो सच्चाई तक पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है।शिकायत करने वाले के भीतर डर का माहौल पैदा किया जाता है तो ईमानदार नागरिक भी चुप हो जाता है,इस कानून का एक अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव यह भी है कि,ईमानदार अधिकारी, पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ़ शिकायत करने से पहले सौ बार सोचने लगते हैं।यह स्थिति व्हिसलब्लोअर संस्कृति को खत्म कर देती है, जो किसी भी पारदर्शी लोकतंत्र की रीढ़ होती है।

साथियों बात अगर हम 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में खंडित फैसला सुनाए जाने को समझने की करें तो,एक माननीय जस्टिस ने धारा 17-ए को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की राय दी।जबकि दूसरे माननीय जस्टिस ने इसे ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हुए वैध ठहराया लेकिन लोकपाल/लोकायुक्त की भूमिका के साथ।यह विभाजन अपने आप में बताता है कि यह मुद्दा कितना जटिल और संवेदनशील है।जब सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की राय अलग-अलग होती है, तो मामला चीफ जस्टिस के पास जाता है। अब यह विषय बड़ी पीठ तय करेगी किसंविधान का कौन-सा पक्ष अधिक मजबूत है, और लोकतंत्र की दीर्घकालिक ज़रूरत क्या है।

साथियों बात अगर हम इन तीन संभावित रास्तों को समझने की करें तो पहला, धारा 17-ए को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए।दूसरा, इसे संशोधित कर सीमित रूप में लागू किया जाए। तीसरा, एक नया संतुलित मॉडल विकसित किया जाए, जिसमें, जांच की स्वतंत्रता भी बनी रहे, और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

साथियों बातें अगर हम इस मामले परवैश्विक दृष्टिकोणः दुनियाँ क्या करती है इसको समझने की करें तो अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों में लोकसेवकों के खिलाफ़ जांच के लिए कार्यपालिका की पूर्व अनुमति की शर्त नहीं होती।स्वतंत्र अभियोजन और न्यायिक निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।यही कारण है कि वहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई संभव हो पाती है।

साथियों बात कर हम विजन 2047 और आगे का रास्ता क्या और कैसे होगा इसको समझने की करेंतो, यदि भारत वास्तव में विज़न 2047 के तहत भ्रष्टाचार- मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहता है, तो उसे धारा 17-ए जैसी लीकेजेस को बंद करना होगा, जांच एजेंसियों को वास्तविक स्वतंत्रता देनी होगी, और राजनीतिकइच्छाशक्ति को कानूनी ढांचे में बदलना होगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुरक्षा और जवाबदेही का संतुलन-ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जांच को बंधक बनाना लोकतंत्र के लिए घातक है।भ्रष्टाचार से लड़ाई में कानून को ढाल नहीं, तलवार बनना होगा। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ पर हैं,जिसका फैसला न केवल धारा 17-ए का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि भारत का लोकतंत्र 2047 की ओर किस दिशा में बढ़ेगा।

पं. तिलकराज शर्मा स्मृति न्यास का सम्मान समारोह सम्पन्न

पद्मभूषण राम बहादुर राय को ₹1.01 लाख से किया सम्मानित

डॉ. शंभु पंवार

नई दिल्ली। पंडित तिलकराज शर्मा स्मृति न्यास, संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्वावधान में मंडी हाउस स्थित रवीन्द्र भवन परिसर में साहित्य अकादमी सभागार में "सम्मान समारोह एवं पुस्तक लोकार्पण–2026" का भव्य एवं गरिमामय आयोजन हुआ।

समारोह की अध्यक्षता प्रतिष्ठित उद्यमी एवं वरिष्ठ साहित्यकार बी.एल. गौड़ ने की एवं मुख्य अतिथि उत्तराखंड के रुप में पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं प्रख्यात साहित्यकार डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' रहे। विशिष्ट अतिथियों में भोपाल विश्व रंग के संस्थापक संतोष चौबे, न्यास के अध्यक्ष एवं समाजसेवी इंद्रजीत शर्मा तथा इंडोनेशिया के: ख्यातिप्राप्त साहित्यकार रसाचार्य ई. मादे धर्मयश उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सधे हुए शब्दों में संचालन शिक्षाविद् एवं साहित्यकार डॉ. विवेक गौतम ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पं. तिलकराज शर्मा के चित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक पद्मभूषण राम बहादुर राय को न्यास के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें माल्यार्पण, शाल, प्रशस्ति-पत्र, स्मृति-चिन्ह एवं ₹1,01,000/- की सम्मान राशि प्रदान की गई। साथ ही मंचासीन अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान किया गया।स्वागत उद्बोधन में न्यास अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने देश-विदेश में न्यास द्वारा संचालित साहित्यिक: एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी साझा की।

अध्यक्षीय उद्बोधन में बी.एल.: गौड़ ने डॉ. विवेक गौतम के व्यक्तित्व-कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए संतोष चौबे को अपनी दो कृतियाँ भेंट कीं।संतोष चौबे ने राम बहादुर राय के व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त करते हुए अपने जीवनानुभव साझा किए तथा मौलिक ग़ज़ल-पाठ से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया।

रसाचार्य ई. मादे धर्मयश ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं अगली पीढ़ी तक संस्कारों के हस्तांतरण पर बल दिया।

सम्मान ग्रहण करते हुए राम बहादुर राय ने न्यास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।मुख्य अतिथि डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि ऐसे आयोजन हमें इतिहास, पत्रकारिता और मूल्यों से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आपातकाल के दौरान राम बहादुर राय के संघर्ष, निर्भीकता और सत्यनिष्ठ पत्रकारिता की सराहना की।

अध्यक्षीय वक्तव्य में बी.एल. गौड़ ने राम बहादुर राय से जुड़े संस्मरण साझा करते हुए उनकी 46 वर्षों की पत्रकारिता यात्रा को प्रेरणास्पद बताया तथा काव्य-पाठ के साथ अपने उद्बोधन को विराम दिया। पत्रकार एवं संपादक विपिन गुप्ता ने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले चुनिंदा पत्रकारों में विक्रम राव और राम बहादुर राय का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है।कार्यक्रम में देश-विदेश से आए अनेक वरिष्ठ साहित्यकार,शिक्षाविद्, पत्रकार, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।अंत में विपिन गुप्ता ने सभी अतिथियों, सहभागियों एवं श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

भाजपा का स्मार्ट सिटी मॉडल फैल है - राहुल गांधी

इन्दौर मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन्दौर के भागीरथपुरा में ज़हरीले पानी से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने अस्पताल व उनके घरों में पहुंच कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाजपा बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। उनका स्मार्ट सिटी मॉडल ऐसा ही है तो सवाल जरुरी है या नहीं ? १५ साल से हम कागजों पर सब देख रहे होते हैं लेकिन ज़मीनी हक़ीकत देखाना है तो यहां आकर देखें या अन्य शहरों में अर्बन मॉडल देखें सभी जगह ऐसे ही हाल है । इन्दौर मध्यप्रदेश में १३ मौतों के बाद यहां के लोगों में डर व भय का माहौल बना हुआ है और प्रदेश सरकार जो शासन कर रही है उन्हें सत्ता का घमंड बना हुआ है। ऐसी डबल इंजन सरकार का भाजपा का नया स्मार्ट सिटी मॉडल सभी जनमानस के सामने है। पानी,हवा,दवा,ज़मीन सभी जगह ज़हर और इन लोगों से ज़बाब मांगों तो चलता है इनका बुलडोजर ? कितनी बड़ी विडम्बना है कि गरीब लोगों की मौत के जिम्मेदार कोई नहीं है। आप की सत्ता देश में प्रदेश में नगर में फिर दोषी कौन इस बात पर सब मौन क्यों हो जाते हैं। जनता की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ना चाहिए मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं उसी के नाते सच्चाई देखने आया हूं।सत्ता पक्ष को चाहे लगे मैं राजनीति कर रहा हूं पर लोगों को गले लगना उनकी परेशान तकलीफ सुनना और सच बात के लिए आवाज उठाना हमारा काम है।

रिपोर्टिंग स्वतंत्र पत्रकार व लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष युवा छात्र समाजसेवी सम्राट गौतम को हरिद्वार रुड़की में राष्ट्रीय विभूति सम्मान से किया सम्मानित-

* कटनी के लाल समाजसेवी सम्राट गौतम ने उत्तराखंड में लहराया परचम----------

** उत्तराखंड हरिद्वार फोनिक्स यूनिवर्सिटी में समाजसेवी सम्राट गौतम के साथ देश की 150 विभूतियों का हुआ सम्मान----------

*** उत्तराखंड** हरिद्वार रुड़की में राष्ट्रीय विभूति सम्मान समारोह 2025 का आयोजन फोनिक्स यूनिवर्सिटी में भव्य रूप से संपन्न किया गया। यह आयोजन शिक्षा कला संस्कृति धर्म चिकित्सा के अलावा पर्यावरण उत्थान ट्रस्ट एवं फोनिक्स यूनिवर्सिटी रुड़की के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें भारत देश के लगभग सभी राज्यों से 150 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विभूतियां चयनित की गई थी। इस कार्यक्रम में कटनी जिले से मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन समाजसेवी संस्था के युवा प्रदेश अध्यक्ष युवा छात्र समाजसेवी सम्राट गौतम का चयन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहीद ए आजम भगत सिंह के भतीजे डॉक्टर किरनजीत सिंह सिंधु एवं कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय वत्स जी के द्वारा शॉल एवं पगड़ी पहनकर सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो एवं उपहार भेंट कर कटनी के लाल जिले के समाजसेवी सम्राट गौतम को सम्मानित किया गया। जूनियर समाजसेवी एवं युवा छात्र सम्राट गौतम जो की स्कूली शिक्षा के साथ-साथ बचपन से ही समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं जिसके लिए उन्हें कई राज्यों के मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फोनिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति मनीष पांडे जी एवं कई गणमान्य भारतवर्ष की हस्तियों के अलावा उद्योगपति राजनेताओं एवं समाज सेवियों की उपस्थिति रही कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय वत्स जी और फोनिक्स यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारी के मार्गदर्शन में सफल और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ हंसराज कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) का दो दिवसीय समागम कार्यक्रम

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

दिल्ली।हंसराज कॉलेज द्वारा विज्ञान भवन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आयोजित 'विकसित भारत और युवा' विषयक द्विदिवसीय समागम कार्यक्रम संपन्न हुआ।

महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. रमा शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यंत गर्व, संतोष और भावनात्मक तृप्ति का विषय रहा। विशेष रूप से यह तथ्य हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है कि विज्ञान भवन में हंसराज कॉलेज का यह तीसरा भव्य आयोजन था,जो इस संस्थान की अकादमिक विश्वसनीयता, बौद्धिक परंपरा और राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ उपस्थिति को सशक्त रूप से रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा कि भारत की आशाओं, आकांक्षाओं और संकल्पों के वाहक मेरे प्रिय विद्यार्थियों और हमारे टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ ने जिस अनुशासन, प्रतिबद्धता और सामूहिक चेतना के साथ इस विराट आयोजन को सफल बनाया, वो हंसराज कॉलेज की महान परंपरा और मूल्यबोध का जीवंत उदाहरण है। यह समागम विचार, संवाद, शोध और राष्ट्रचिंतन का ऐसा संगम बन गया, जिसकी स्मृतियाँ दीर्घकाल तक हमारे मन में जीवित रहेंगी।

मुख्य अतिथि के रूप में हंसराज कॉलेज के पूर्व छात्र व केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार किरेन रिजिजू की उपस्थिति ने कार्यक्रम की राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की।कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की।साथ ही बीज वक्तव्य राज्य आयुक्त (मध्य प्रदेश) मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इससे पूर्व प्रथम सत्र की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. रवींद्र शुक्ल ने की। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता प्रो. पवन सिन्हा 'गुरुजी', आध्यात्मिक गुरु, चिंतक एवं शिक्षाविद् के विचारों ने श्रोताओं को आत्मचिंतन, मूल्यबोध और जीवन-दृष्टि के गहरे स्तर तक ले जाने का कार्य किया।

द्वितीय सत्र में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र,भोपाल के निदेशक डॉ. जवाहर कर्णावट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अवर सचिव मनमीत कौर नंदा (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार), शोभित विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति कुंवर शेखर विजेंद्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व AICTE चेयरमैन प्रो.अनिल सहस्रबुद्धे,भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल तथा नीदरलैंड्स ने शिक्षा प्राप्त प्रवासी भारतीय व साहित्य-संस्कृति सेवी अश्विनी केगांवकर ने भाषा, नीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर अत्यंत विचारोत्तेजक वक्तव्य दिए।

तृतीय सत्र में डॉ. अभिषेक टंडन जी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदमोद्य फाउंडेशन, ओमप्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार एवं राष्ट्रीय सचिव (भाजपा), प्रो. के. जी. सुरेश, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर तथा रवि शंकर , संपादक, गगनांचल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), विदेश मंत्रालय की उपस्थिति ने समागम को बौद्धिक गहराई और समकालीन संदर्भ प्रदान किया।

चतुर्थ सत्र में ईरा सिंघल, आईएएस, (उप सचिव, भारत सरकार) तथा बिनय सिंह, निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने प्रशासन, संवेदनशीलता और राष्ट्रसेवा के मूल्यों पर प्रेरक विचार साझा किए।

पंचम सत्र में अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने समाज, संस्कृति और शिक्षा के अंतर्संबंधों पर सारगर्भित दृष्टि प्रस्तुत की।

षष्ठ सत्र में विजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, जितेन जैन, साइबर विशेषज्ञ तथा डॉ. गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी ने समकालीन राजनीतिक, तकनीकी और वैचारिक विषयों पर गहन विमर्श किया।

मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने की।

मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री (PMO) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने समागम को दूरदर्शी राष्ट्रीय दृष्टि प्रदान की।विशिष्ट अतिथि के रूप में पूज्य प्रदीप महाराज की उपस्थिति ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊँचाई और शांति से भर दिया।

हजारों विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, सैकड़ों शोध पत्रों का वाचन और विचारों का निर्भीक आदान–प्रदान इस समागम की ऐतिहासिक उपलब्धि रहे।

कार्यक्रम का समापन कवि सम्मेलन के साथ हुआ।जिसमें जगदीश मित्तल की अध्यक्षता और राजेश चेतन के सशक्त और प्रभावशाली संचालन में प्रियांशु गजेन्द्र, राजेश अग्रवाल, शंभू शिखर, डॉ. कीर्ति काले, योगेन्द्र शर्मा तथा पद्मश्री डॉ. सुनील जोगी ने अपनी कविताओं से सभागार को भाव-विभोर कर दिया।

यह समागम स्मृतियों का संकलन नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार, प्रेरणा और दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय है। हंसराज कॉलेज को विज्ञान भवन जैसे राष्ट्रीय मंच पर बार–बार अपनी वैचारिक उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिला, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि और प्रेरणा है। प्राचार्या प्रो रमा शर्मा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और अपने समर्पित सहयोगियों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की।

श्रीनाभापीठ सुदामा कुटी के ग्यारह दिवसीय शताब्दी महोत्सव में सम्मानित हुए "यूपी रत्न" डॉ. गोपाल चतुर्वेदी

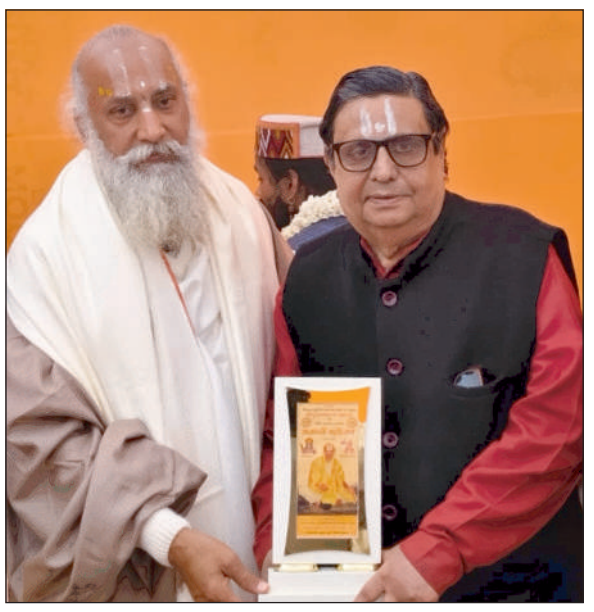

परिवहन विशेष न्यूज

वृन्दावन। कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे श्रीनाभापीठ सुदामा कुटी के ग्यारह दिवसीय शताब्दी महोत्सव एवं श्रीरामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक जगद्गुरू स्वामी रामानंदाचार्य महाराज के 726 वें जयंती महोत्सव में ब्रज साहित्य सेवा मंडल के अध्यक्ष "यूपी रत्न" डॉ. गोपाल चतुर्वेदी को उनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उत्कृष्ट आध्यात्मिक लेखन के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान श्रीनाभापीठ सुदामा कुटी के अध्यक्ष श्रीमज्जगदगुरू स्वामी सुतीक्ष्णदास देवाचार्य महाराज ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व ठाकुरजी का पटुका-प्रसादी-माला आदि भेंट करके दिया।

ज्ञात हो कि यह महोत्सव विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम के साथ चल रहा है। जिसका शुभारंभ 10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर-संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं कई प्रख्यात संतो के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके हुआ था।इस महोत्सव में समूचे देश के विभिन्न प्रांतों से तमाम प्रख्यात संत और असंख्य भक्त-श्रद्धालु आए हुए हैं।

इस अवसर पर नाभापीठ सुदामा कुटी के श्रीमहंत अमरदास महाराज, अपर जिला जज उमेश सिरोही, आचार्य मारुतिनंदन वागीश, महामंडलेश्वर परमेश्वर दास महाराज, महंत अवधेश दास (बयाना), महंत राघव दास, आचार्य ऋषि कुमार तिवारी, संत रामसंजीवन दास महाराज, डॉ. रमेश चंद्राचार्य विधिशास्त्री, आचार्य विनय त्रिपाठी, आचार्य मृदुल कांत शास्त्री, भागवताचार्य श्रीराम मृदुल, आचार्य सुरेश चन्द्र शास्त्री, आचार्य युगल किशोर कटारे, महंत आचार्य रामदेव चतुर्वेदी, डॉ. राधाकांत शर्मा, पंडित चैतन्य किशोर कटारे, मोहन शर्मा आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कानपुर में अवैध संबंधों के शक में प्रेमिका से पत्नी बनी युवती की हत्या कर थाने पहुंचा युवक : हड़कंप

सुनील बाजपेई

कानपुर। लगभग 6 मार पहले प्रेमिका से पत्नी बनी युवती की हत्या करने के बाद एक युवक आज शनिवार को महाराजपुर थाने पहुंच गया। जैसे ही उसने पत्नी की हत्या किए जाने की जानकारी दी थाने में भी हड़कंप मच गया। हत्या की जानकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद की गई पूछताछ में फतेहपुर जनपद के ग्राम मोहनपुर पोस्ट शाह के मूल निवासी युवक सचिन सिंह ने बताया कि वह क्षेत्र के रूमा स्थित न्यू हाईटेक सिटी स्थित मुस्कान चैरिटेबल पाली क्लीनिक के ऊपर बने कमरे में किराये पर रहता है।

युवक के मुताबिक उसने बीते अगस्त माह में गांव की ही रहने वाली श्वेता सिंह से घर वालों के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वह पहले सूरत में एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने गया था, जहां पर करीब एक माह रुकने के बाद वापस महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित एक किराये के कमरे पर रहने लगा था।

पति सचिन ने पुलिस को बताया कि गांव में ही रहने वाली श्वेता से करीब तीन वर्ष पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका घर वालों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। इसके चलते श्वेता के परिजनों ने गाजीपुर थाने में शिकायती पत्र देते हुए छेड़छाड़ और रेप के मामले में जेल भिजवा दिया था। करीब दो माह जेल में रहने के बाद जब वापस लौटा तो, श्वेता से प्रेम विवाह कर लिया था। तब से श्वेता के परिजनों द्वारा भी लगातार जान से मारने की मुझे धमकी दी जा रही थी।

घटना की वजह की जानकारी देते हुए आरोपी सचिन सिंह ने पुलिस को बताया कहा कि 13 जनवरी को वह किसी काम से फतेहपुर जनपद के चौडगरा गया हुआ था। जब अचानक शुक्रवार तथा शनिवार की मध्य रात्रि मकान के नीचे का शटर उठाकर ऊपर कमरे में पहुंचा, तो वहां पर देखा की पत्नी दो युवकों के साथ बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसको देखकर आरोपी ने अपना आपा खो दिया और विवाद होने लगा। आरोपी पति सचिन ने कहा कि उसकी पत्नी श्वेता और दोनों युवकों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद डायल 112 में भी सूचना की गई थी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के पास बैठे दो युवक और एक सामने कमरे में रहने वाले युवक को चौकी ले गई। जब पति वापस कमरे में लौटा, तो श्वेता ने धमकी दी कि उनको सुबह छुड़ा लूंगी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। इसी बात से नाराज पति सचिन ने श्वेता का गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने वाले सचिन सिंह के मुताबिक उसे दोनों युवकों से पत्नी के अवैध संबंधों का यकीन है। आरोपी सचिन के मुताबिक दोनों युवक पास के ही

एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। दोनों पत्नी के खाते में अक्सर रुपए भी भेजते थे। जिन्हें पत्नी अपनी नानी द्वारा भेजे गए रुपये बताती थी। पुलिस ने बताया कि हत्या का आरोप स्वीकार किए जाने के बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप जीने के साथ ही मामले की जांच की जा रही है।

अजब रिश्ता (कहानी)

रिश्तों की दुनिया में कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई खून का धागा नहीं जुड़ा होता, फिर भी वे जीवन की सबसे मजबूत डोर बन जाते हैं। बड़ी भाबु की बहन राजकुंवर और आराध्य के परिवार का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था-न लिखित, न घोषित, बस चुपचाप निभाया गया।

बड़ी भाबु आराध्य की रिश्ते में कुछ नहीं लगती थीं, लेकिन मोहल्ले की दीवारों के भीतर उन्होंने एक पूरा संसार रचा था। उनका छोटा सा घर, उनकी सधी हुई दिनचर्या और उनका असीम धैर्य-सब कुछ जैसे स्त्री संघर्ष की जीवंत तस्वीर था। अस्सी वर्ष की उम्र में, एक असाध्य रोग से जूझते हुए, जब वे इस दुनिया से विदा हुईं, तो उनके जाने से सिर्फ एक जीवन नहीं गया, बल्कि कई रिश्तों की धुरी भी टूट गई।

बड़ी भाबु के पति सेना में थे। आराध्य ने उन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि वे देश के लिए शहीद हो चुके थे। जवान उम्र में विधवा हो जाना, वह भी बिना किसी संतान के-यह खालीपन बड़ी भाबु ने कभी शब्दों में नहीं ढाला। उन्होंने अपने दुःख को जिम्मेदारी में बदल लिया। उनकी छोटी बहन राजकुंवर की पांच बेटियां ही उनका संसार बन गईं। उन बेटियों को उन्होंने कभी भांजी नहीं कहा, हमेशा 'मेरी बच्चियां' कहा।

दोनों बहनों ने मिलकर जीवन की कठोरता का सामना किया। किसी निजी संस्था के लड़कियों के हॉस्टल में मेड की नौकरी-सुबह से रात तक झाड़, पोंछा, बर्तन और अनगिनत जिम्मेदारियां। उसी कमाई से पांच बेटियों की पढ़ाई, परवरिश और फिर शादी-ब्याह। समाज अक्सर कहता है कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन बड़ी भाबु और राजकुंवर ने अपने पसीने से साबित किया कि बेटियां नहीं, बल्कि अवसरों की कमी बोझ होती है।

बड़ी भाबु स्वभाव से सख्त थीं। कभी-कभी राजकुंवर को डांट भी देतीं-काम ठीक से न हुआ तो, या किसी बात में लापरवाही दिखी तो। लेकिन राजकुंवर ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह जानती थीं कि उस सख्ती के पीछे अपार प्रेम और चिंता छिपी है। स्त्रियों के बीच यह मौन समझ अक्सर शब्दों से ज्यादा गहरी होती है।

समय बीतता गया। बेटियां अपने-अपने घर बसाकर ससुराल चली गईं। बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ीं। बड़ी भाबु की उम्र और बीमारी दोनों बढ़ती गईं। आराध्य तब छोटा था, लेकिन उसके मन में बड़ी भाबु की छवि हमेशा एक स्नेहिल पड़ोसन की रही-जो बिना रिश्ता पूछे, सिर पर हाथ रख देती थी।

बड़ी भाबु के जाने के बाद, वह घर जैसे सूना पड़ गया। एक दिन आराध्य की मम्मी किसी कार्यक्रम से लौट रही थीं। रास्ते में राजकुंवर का घर पड़ा। मन में आया-बड़ी भाबु तो नहीं रहीं, लेकिन राजकुंवर तो हैं, हाल-चाल पूछ लेना चाहिए। जब वे पहुंचीं, तो राजकुंवर की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा-

'आजकल आराध्य और आप कोई मिलने नहीं आते। मुझसे कौन मिलना पसंद करेगा। बड़ी भाबु का प्यार था, जो तुम्हें खींच लाता था। आज बिना बड़ी भाबु के यह छोटा सा घर खाने को दौड़ता है। अकेली हूं न !'

यह अकेलापन सिर्फ एक स्त्री का नहीं था, यह उस सामाजिक व्यवस्था का आईना था, जहां स्त्री जीवन भर दूसरों के लिए जीती है, और अंत में उसके पास सिर्फ खाली दीवारें बचती हैं।

जब बड़ी भाबु जीवन की अंतिम अवस्था में थीं, तो उन्होंने अपने पास के थोड़े-से गहने—पायजेब, चांदी के भारी कड़ले और एक सोने का हार-राजकुंवर को थमाए। कांपते हाथों से देते हुए कहा-

'बेटियों को बांट देना। मेरे पास और कुछ नहीं है देने को।'

यह गहने नहीं थे, यह उनके अधूरे मातृत्व, त्याग और संघर्ष की आखिरी निशानी थी।

आज राजकुंवर अब भी उसी संस्था में मेड का काम करती हैं। हॉस्टल, जहां कभी चार हजार लड़कियां रहती थीं, अब सिमटकर सौ-डेढ़ सौ रह गया है। वहीं से खाना ले आती हैं। जीवन किसी तरह कट रहा है। बेटियां अपने संसार में व्यस्त हैं-व्यस्तता, जो अक्सर संवेदनाओं को पीछे छोड़ देती है।

आराध्य को जब यह सब पता चला, तो उसके भीतर कुछ हिल गया। उसने समझा कि रिश्ते सिर्फ नाम और खून से नहीं बनते, वे समय देने से बनते हैं। राजकुंवर जैसी स्त्रियां समाज की रीढ़ हैं-जो बिना शिकायत, बिना मंच, बिना प्रशंसा के जीवन भर दूसरों का भार उठाती हैं।

यह कहानी सिर्फ राजकुंवर और बड़ी भाबु की नहीं है। यह उन अनगिनत स्त्रियों की कहानी है, जो अपनी पहचान दूसरों की खुशियों में घोल देती हैं। स्त्री विमर्श का असली प्रश्न यही है-क्या समाज कभी उन स्त्रियों से पूछेगा, 'तुम कैसी हो ?'

क्योंकि कभी-कभी, सिर्फ हाल पूछ लेना भी किसी के जीवन में सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, संगरिया, हनुमानगढ़, राजस्थान।

रिश्तों में संतुलन का संकट : भावनाओं के शोषण की सामाजिक सच्चाई

- डॉ. प्रियंका सौरभ

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं पर टिककर अपने अहंकार को बड़ा करते हैं। वे धीरे-धीरे स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि वही रिश्ते का केंद्र हैं, वही निर्णय लेने वाले हैं और सामने वाला व्यक्ति उनके बिना अधूरा है। इसी मानसिकता के चलते वे अनावश्यक उपदेश देने लगते हैं, हर विषय पर अपनी राय को अंतिम सत्य घोषित करते हैं और लगातार बोलते रहने को ज्ञान का प्रमाण मान लेते हैं।

मनुष्य का जीवन रिश्तों के ताने-बाने से ही आकार लेता है। परिवार, मित्रता, प्रेम, सहयोग और सामाजिक संबंध—ये सभी हमारे अस्तित्व को अर्थ प्रदान करते हैं। किंतु आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रिश्तों में संवेदनशीलता की जगह स्वार्थ ने ले ली है और भावनाओं को कमजोरी समझा जाने लगा है। जो व्यक्ति दिल से निभाने का प्रयास करता है, वही अक्सर सबसे अधिक आहत और ठगा हुआ दिखाई देता है।

जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है, सामने वाले की सहूलियतों का ध्यान रखता है, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है और स्वयं को बार-बार पीछे कर लेता है, तो यह त्याग हर बार सम्मान नहीं पाता। कई बार सामने वाला इस व्यवहार को प्रेम या अपनापन नहीं, बल्कि मूर्खता मान लेता है। यहीं से रिश्तों में असंतुलन की प्रक्रिया शुरू होती है।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं पर टिककर अपने अहंकार को बड़ा करते हैं। वे धीरे-धीरे स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि वही रिश्ते का केंद्र हैं, वही निर्णय लेने वाले हैं और सामने वाला व्यक्ति उनके बिना अधूरा है। इसी मानसिकता के चलते वे अनावश्यक उपदेश देने लगते हैं, हर विषय पर अपनी राय को अंतिम सत्य घोषित करते हैं और लगातार बोलते रहने को ज्ञान का प्रमाण मान लेते हैं।

समस्या सलाह देने में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब सलाह सम्मान के बजाय नियंत्रण का माध्यम बन जाए। जब संवाद बराबरी का न रहकर वर्चस्व स्थापित करने का साधन बन जाए। ऐसे लोग प्रेम, स्नेह, देखभाल और भावनाओं की भाषा नहीं समझते। वे हर रिश्ते को लाभ और हानि के तराजू पर तौलते हैं। उनके लिए रिश्ता एक साधन मात्र होता है, लक्ष्य नहीं।

ऐसे स्वभाव के लोग अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उन पर निर्भर है। उसकी विनम्रता, सहनशीलता और समझदारी उन्हें मजबूरी प्रतीत होती है। वे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति उन्हें छोड़ नहीं सकता, उनसे प्रश्न नहीं कर सकता और उनका विरोध करने का साहस नहीं रखता। यहीं से भावनात्मक शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है, जो धीरे-धीरे सामान्य व्यवहार का रूप ले लेती है।

परंतु हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। जब सामने वाला व्यक्ति सजग होता है, आत्मचिंतन करता है और यह समझने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल उपयोग की वस्तु बनकर रह गया है, तब वह स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। यही क्षण स्वार्थी व्यक्ति को सबसे अधिक असहज करता है, क्योंकि अब उसका नियंत्रण खतरे में पड़ जाता है।

जैसे ही वह देखता है कि दूसरा व्यक्ति सवाल पूछने लगा है, अपनी बात रखने लगा है या मानसिक दूरी बना रहा है, वैसे ही वह नया तरीका अपनाता है—आरोप लगाने का। अब वही व्यक्ति, जो स्वयं को अत्यंत समझदार और ज्ञानी बताता था, चरित्र पर आक्षेप लगाने लगता है। वह बाहरी लोगों के सामने रिश्ते की कहानी को अपने पक्ष में इस तरह प्रस्तुत करता है कि स्वयं को पीड़ित और सामने वाले को दोषी सिद्ध किया जा सके।

यहीं से रिश्ते का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। संवाद का स्थान आरोप ले लेते हैं। समझ और धैर्य की जगह कटुता और वैमनस्य आ जाता है। हर बातचीत में यह सुनने को मिलता है—"तुम बदल गए हो", "पहले ऐसे नहीं थे", "अब तुम घमंडी हो गए हो"। वास्तविकता यह होती है कि यह परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मबोध होता है, जिसे स्वार्थी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता।

धीरे-धीरे रिश्ते कुरुक्षेत्र के मैदान में बदल जाते हैं, जहाँ उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि जीत हासिल करना होता है। एक पक्ष चुप रहकर स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा पक्ष शोर मचाकर सहानुभूति बटोरने में लगा रहता है। ऐसे लोग सहानुभूति अर्जित करने में अत्यंत कुशल होते हैं। वे अपनी बात को इस प्रकार गढ़ते हैं कि सुनने वाला सहज ही उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है।

इन परिस्थितियों में सामान्य, संवेदनशील और नैतिक व्यक्ति सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलता है। वह जानता है कि हर आरोप का उत्तर देना संभव नहीं है। हर झूठ को सार्वजनिक रूप से काटना उसके स्वभाव और संस्कारों के विरुद्ध है। परिणामस्वरूप वह मौन को अपना हथियार बनाता है, किंतु यही मौन कई बार उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है।

यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि गलती किसकी है? क्या संवेदनशील होना अपराध है? क्या रिश्तों में त्याग करना मूर्खता है? उत्तर स्पष्ट है—नहीं। गलती संवेदनशीलता में नहीं, बल्कि असंतुलन में है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब रिश्ते एकतरफा हो जाते हैं, जब देने वाला ही देता रह जाता है और पाने वाला केवल लेता रहता है।

इसी कारण रिश्तों की शुरुआत में ही संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम, मित्रता या सहयोग—किसी भी संबंध में स्वयं को पूरी तरह खो देना विवेकपूर्ण नहीं है। दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए अपनी सीमाओं को बार-बार तोड़ना अंततः आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुँचाता है।

आत्ममूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हमें स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्या यह रिश्ता हमें मानसिक शांति दे रहा है या केवल थकान और पीड़ा? क्या हमारी बातों को सुना जा रहा है या केवल सहन किया जा रहा है? क्या हमारी भावनाओं का सम्मान है या केवल उनका उपयोग किया जा रहा है?

यदि इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं, तो वहाँ रुक जाना ही सबसे बड़ी भूल है। ऐसे में स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय ख़ामोशी से दूरी बना लेना अधिक समझदारी भरा निर्णय होता है। दूरी हमेशा द्वेष का प्रतीक नहीं होती, कई बार यह आत्मरक्षा का सबसे सशक्त उपाय होती है।

समाज को भी यह समझने की आवश्यकता है कि हर कहानी के दो पक्ष होते हैं। जो व्यक्ति सबसे अधिक बोलता है, वही हमेशा सत्य बोल रहा हो, यह आवश्यक नहीं। और जो मौन है, वह दोषी हो—यह भी अनिवार्य नहीं। आज का समय कहानी गढ़ने वालों और उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वालों का हो गया है, जहाँ सत्य से अधिक उसकी प्रस्तुति महत्त्वपूर्ण हो गई है।

ऐसे दौर में आत्मसम्मान की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि रिश्ते बोझ बन जाएँ, यदि उनमें भय, अपराधबोध और हीन भावना भर जाए, तो उन्हें निभाना कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता वहाँ है, जहाँ दोनों पक्ष एक-दूसरे के अस्तित्व और गरिमा को स्वीकार करें।

अंततः यही कहा जा सकता है कि रिश्ते तभी सुंदर और स्थायी होते हैं, जब वे बराबरी और सम्मान पर टिके हों। जहाँ प्रेम हो, वहाँ आदर भी हो। जहाँ अपनापन हो, वहाँ स्वतंत्रता भी हो। और जहाँ यह सब न हो, वहाँ दूरी कोई पराजय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की विजय होती है।

दिल्ली परिवहन विभाग और जनता की सुरक्षा: क्या भरोसा संभव?

परिवहन विभाग की अवहेलना: कानून से ऊपर अधिकारी?

संजय कुमार बाठला

दिल्ली परिवहन विभाग उस विभाग का नाम है, जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचनाओं, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों, उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के आदेशों, तथा वायु गुणवत्ता आयोग जैसे अन्य विभागों की गाइडलाइंस को तभी मानता है — जब आला अधिकारियों का निजी फायदा हो।

ऐसे विभाग पर भरोसा कर दिल्ली में

1. जाम-मुक्त सड़कें,
2. दुर्घटना-मुक्त सड़कें,
3. व्यवसायिक वाहनों में जनता की सुरक्षा,
4. सुखद एवं समयबद्ध यात्रा, या
5. प्रदूषण से मुक्ति कैसे संभव?

भ्रष्टाचार के प्रमाणित उदाहरण: कौन जिम्मेदार?

1. बंधित वाहनों का पंजीकरण: जो अधिकारी दिल्ली में बंधित वाहनों को बेखौफ पंजीकृत कर देते हैं

2. ।न्यायिक आदेशों की अवहेलना: जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ठेंगा दिखाकर गैर-कानूनी ऑटो-टीएसआर खरीदने की एलओआई जारी करते हैं।

3. गैर-तकनीकी नियुक्तियां: जो तकनीकी पदों पर गैर-तकनीकी अधिकारियों को बिठा देते हैं।

4. कार्यालयों का मनमाना बंदी: जो राजपत्रित अधिसूचना के बावजूद जनहित के खुले कार्यालयों को बिना नोटिस बंद कर देते हैं।

5. ट्रेड सर्टिफिकेट की अनदेखी: जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किए वाहनों की बिक्री में मदद करते हैं।

6. सरकारी जांच एजेंसियों का अपमान: जो भारत सरकार की जांच एजेंसियों के सर्टिफिकेट्स को दरकिनार कर वाहन पंजीकृत करवा रहे हैं।

7. ये सभी कार्य सबूतों के साथ उपलब्ध हैं, फिर भी दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय और पीएमओ चुप्पी साधे हैं।

*** अपील:**

* जागो दिल्ली! न्याय और सुरक्षा का समय आ गया

* क्या ऐसी व्यवस्था में जनता को मिल सकती है—सुरक्षित सड़कें

* सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवा

* जाम-मुक्त सड़कें

* हादसे-मुक्त सड़कें

* प्रदूषण-मुक्त हवा

नहीं! यह आपके लिए सोचने का सवाल नहीं, बल्कि कार्रवाई का आह्वान है।

दिल्ली की जनता, मीडिया, न्यायपालिका और केंद्र सरकार से अपील—

1. तत्काल जांच शुरू करें,
2. दोषियों पर कार्रवाई करें।

अन्यथा,

3. परिवहन विभाग का यह 'भरोसेमंद' चेहरा जनता की जान का दुश्मन बनेगा।

#दिल्लीपरिवहनस्कैंडल
#जनताकीसुरक्षा

पारदर्शिता का भ्रम और हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न

— डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चार बिंदुओं में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। पहली दृष्टि में यह स्पष्टीकरण पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का आभास कराता है, किंतु जब इन दावों को वास्तविक आँकड़ों, भर्ती परिणामों, न्यायालयीन हस्तक्षेपों तथा अभ्यर्थियों के अनुभवों के संदर्भ में परखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सफाई कम और तथ्यों से ध्यान हटाने का प्रयास अधिक है। आयोग का यह कहना कि उसकी छवि के विरुद्ध "झूठा नैरेटिव" गढ़ा जा रहा है, स्वयं अनेक गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है।

सबसे पहला और मूल प्रश्न यही है कि क्या हरियाणा लोक सेवा आयोग वास्तव में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और योग्यता आधारित संवैधानिक संस्था की तरह कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है, तो फिर प्रत्येक भर्ती के उपरांत बड़ी संख्या में पदों का रिक्त रह जाना, चयन प्रक्रिया के बीच नियमों का बदला जाना तथा अभ्यर्थियों को बार-बार न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होना कैसे उचित ठहराया जा सकता है।

प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद आयोग द्वारा संचालित भर्तियों में सैकड़ों और हज़ारों पदों को जानबूझकर रिक्त छोड़ा जाना एक गंभीर विसंगति को उजागर करता है। हरियाणा सिविल सेवा में सौ पदों में से केवल इकसठ पदों को भरना, कृषि विकास अधिकारी भर्ती में छह सौ में से मात्र पचास नियुक्तियाँ करना, स्नातकोत्तर अध्यापक, प्रवक्ता तथा महाविद्यालय अध्यापक भर्तियों में आधे या उससे अधिक पदों को रिक्त छोड़ देना यह दर्शाता है कि समस्या योग्य अभ्यर्थियों की कमी नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया की नीयत और दिशा में निहित है।

महाविद्यालय अध्यापक भर्ती का उदाहरण विशेष रूप से चिंताजनक है, जहाँ कुल दो हज़ार चार सौ चौबीस पदों में से लगभग तीन-चौथाई पद रिक्त रह गए। जब देश भर में हज़ारों शोध उपाधि धारक, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता उपलब्ध हैं, तो यह मानना कठिन है कि योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। यह स्थिति तब और अधिक संदेह उत्पन्न करती है जब इन्हीं रिक्त पदों के समानांतर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेके पर नियुक्तियाँ की जाती हैं और बाद में उन्हीं में से अनेक को नियमित भी कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया योग्यता आधारित चयन व्यवस्था की आत्मा पर सीधा प्रहार है और इसे पिछली राह से प्रवेश कहना पूर्णतः उचित है।

आयोग की कार्यप्रणाली पर उठने वाला दूसरा बड़ा प्रश्न हरियाणा के युवाओं की निरंतर उपेक्षा से संबंधित है। अनेक भर्तियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का अनुपात असामान्य रूप से अधिक रहा है। राजनीति विज्ञान विषय में महाविद्यालय अध्यापक भर्ती में अठारह में से ग्यारह चयन अन्य राज्यों से होना, तकनीकी प्रवक्ता वर्ग में एक सौ सत्तावन में से एक सौ तीन चयन हरियाणा के बाहर के होना, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में लगभग एक-तिहाई चयन बाहरी होना — ये आँकड़े किसी सामान्य संयोग की ओर संकेत नहीं करते।

स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कुछ महाविद्यालय अध्यापक भर्तियों में हरियाणा के अभ्यर्थियों का प्रतिशत आठ प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि स्नातकोत्तर अध्यापक भर्तियों में लगभग आधे चयन अन्य राज्यों से हुए। यदि इसमें कृषि विकास अधिकारी और आयुर्विज्ञान अधिकारी जैसी भर्तियों के आँकड़े भी जोड़ दिए जाएँ, तो यह तस्वीर और अधिक भयावह हो जाती है। इसके साथ-साथ आयोग की परीक्षाओं से हरियाणा सामान्य ज्ञान को हटाया जाना तथा न्यायिक सेवा में निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त किया जाना यह संकेत देता है कि नीतिगत स्तर पर हरियाणा के युवाओं के हितों की उपेक्षा की जा रही है।

इन संरचनात्मक प्रश्नों से भी अधिक गंभीर वे अनियमितताएँ हैं, जिनके कारण बार-बार न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ा है। भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में परिवर्तन, जैसे संस्कृत विषय की स्नातकोत्तर अध्यापक भर्ती में पैंतीस प्रतिशत का मापदंड लागू करना, किसी भी निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रश्नपत्रों में नकल, पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति और कई मामलों में सीधे-सीधे प्रश्नों की प्रतिलिपि होना केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सिविल सेवा, स्नातकोत्तर अध्यापक और महाविद्यालय अध्यापक जैसी प्रमुख भर्तियों तक फैला रहा है।

प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएँ, चाहे वे सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित हों या दंत शल्य चिकित्सक भर्ती से, आयोग की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुँचाती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक परीक्षा में गलत उत्तर कुंजी जारी होना और आपत्ति दर्ज कराने के नाम पर प्रति प्रश्न ढाई सौ रुपये की वसूली अभ्यर्थियों के आर्थिक और मानसिक शोषण का स्पष्ट उदाहरण है।

इससे भी अधिक चिंताजनक वे प्रकरण हैं, जिनमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ और अधिक अंक प्राप्त करने वाले बाहर कर दिए गए। ऐसे अनेक उदाहरण चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

आरक्षण और दिव्यांग कोटे के गलत क्रियान्वयन के मामले भी न्यायालयों तक पहुँचे हैं। यह दर्शाता है कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन भी चयन प्रक्रिया में सुनिश्चित नहीं किया जा रहा।

प्रशासनिक विकास सहायक जैसी भर्तियों में पद से संबंधित प्रश्न न पूछे जाने के कारण न्यायालय द्वारा पूरी भर्ती को निरस्त किया जाना इस बात का प्रमाण है कि समस्याएँ केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मूलभूत हैं।

इन सभी अनियमितताओं के बीच आयोग का यह दावा कि अभ्यर्थियों की शिकायतों और अभ्यावेदनों पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है, वास्तविकता से कोसों दूर प्रतीत होता है। हिन्दी विषय की महाविद्यालय अध्यापक भर्ती में प्रश्नपत्र निरस्त होने और पुनः परीक्षा होने के बावजूद गलत और नकल किए गए प्रश्नों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कई भर्तियों में दो बार आवेदन और दो बार शुल्क लिया गया, किंतु परीक्षा केवल एक ही बार करवाई गई। बार-बार लिखित और मौखिक शिकायतों के बावजूद आयोग की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आयोग, मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ तथा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों पर भी कोई कार्रवाई न होना इस दावे को और कमजोर करता है कि शिकायत निवारण व्यवस्था प्रभावी है। जब हर मामले में अभ्यर्थियों को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आयोग की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली वास्तव में किस हद तक कार्यशील है।

आयोग का तीसरा प्रमुख दावा यह है कि उसकी संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। यदि वास्तव में ऐसा है, तो फिर उत्तर पुस्तिकाएँ क्यों नहीं दिखाई जातीं। आदर्श उत्तर कुंजी क्यों उपलब्ध नहीं करवाई जाती। चयन मानदंड को महीनों तक गोपनीय क्यों रखा जाता है।

महाविद्यालय अध्यापक भर्ती में एक वर्ष तक चयन मापदंड न बताना और भर्ती पूर्ण होने के बाद भी उसे सार्वजनिक न करना पारदर्शिता नहीं, बल्कि मनमानी का उदाहरण है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत बार-बार यह कहना कि विषय विचाराधीन है, सूचना के अधिकार की भावना का उपहास है।

लंबी न्यायिक लड़ाइयों के बाद जब संशोधित उत्तर कुंजी, चयनित अभ्यर्थियों का विवरण और सूचना आवेदन की रसीदें सार्वजनिक की जाती हैं, तो यह प्रश्न और अधिक गहरा हो जाता है कि यदि सब कुछ प्रारंभ से ही सार्वजनिक था, तो फिर यह जानकारी देने में इतना विरोध क्यों किया गया।

आयोग के अध्यक्ष के कथित अपमानजनक बयानों को लेकर यह कहना कि आरोप निराधार हैं, तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। भले ही बंद कमरे में प्रयुक्त भाषा का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न हो, किंतु परिणाम स्वयं बहुत कुछ कह देते हैं। अंग्रेज़ी विषय की महाविद्यालय अध्यापक भर्ती में छह सौ तेरह पदों के लिए केवल एक सौ इक्यावन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना और अनेक विषयों में आधे से अधिक चयन अन्य राज्यों से होना यह दर्शाता है कि हरियाणा के युवाओं की योग्यता को लेकर शीर्ष स्तर पर गहरी पूर्वधारणाएँ विद्यमान हैं।

यह मानना कठिन है कि प्रत्येक परीक्षा में शोध उपाधि धारक, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, स्वर्ण पदक विजेता और विश्वविद्यालय स्तर के टॉपर अभ्यर्थी सामूहिक रूप से अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं। डेढ़ सौ अंकों की परीक्षा में पैंतीस प्रतिशत अंक भी न आना, आरक्षित वर्ग की साठ सीटों में केवल एक का चयन होना और प्रत्येक भर्ती में पदों का रिक्त रह जाना — ये सब घटनाएँ किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और प्रणालीगत समस्या की ओर संकेत करती हैं।

अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आयोग की छवि को नुकसान पहुँचाया जा रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आयोग स्वयं अपनी कार्यप्रणाली से अपनी विश्वसनीयता को कमजोर कर रहा है। जब प्रत्येक परीक्षा के बाद वही विवाद, वही प्रश्न और वही न्यायालयीन हस्तक्षेप सामने आते हैं, तो आत्ममंथन की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

इस पृष्ठभूमि में यह माँग पूरी तरह तर्कसंगत प्रतीत होती है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जाँच करवाई जाए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित एक स्वतंत्र समिति ही यह स्पष्ट कर सकती है कि समस्याएँ कहाँ हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि आयोग के नेतृत्व में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो जो हरियाणा के युवाओं की सामाजिक वास्तविकताओं, आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों।

पारदर्शिता केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से सिद्ध नहीं होती, बल्कि निर्णयों, प्रक्रियाओं और परिणामों में दिखाई देनी चाहिए। हरियाणा के युवाओं को अब शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवस्था में विश्वास चाहिए।

सामयिक व्यंग्य दादागिरी पुराण !

कस्तूरी दिनेश

दादागिरी एक प्राचीनतम शक्ति-प्रतीक च्यवन-प्राश है ! इसके लिए आदमी में थोड़ी असभ्यता का गुड़, अक्खड़पन की सतावरी, दुःसाहस का गिलोय और अश्वगंधा की बदजुबानी के साथ उठा-पटक का आंवला मिलाना पड़ता है. तब जाकर एक उत्तम कोटि का अवलेह बनता है ! जवानी की उम्र आते ही गाँव-शहरों में हरेक अल्लू-गल्लू खोपड़ी पर इस देशी शराब का नशा जरुर चढ़ता है परन्तु किसी सवाये की एकाध पटकनी खाते या पुलिस का भरपूर डंडा पड़ते ही यह नशा काफूर हो जाता है। उपरवाला दादागिरी की नेमत हर किसी को नहीं बांटता। वह बहुत खोज-पड़ताल के बाद ही किसी-किसी पर अपनी कृपा की वृष्टि करता है ! कंस, दुर्योधन, रावण, हिटलर, मुसोलिनी और ट्रंप होना हर किसी के भाग्य में नहीं होता ! इसके लिए जिगरा चाहिए ! मरने-मारने के साथ बर्बाद करने और बर्बाद होने का जूनून होना !

दादागिरी के लिए एक अच्छे संगठक का गुण होना बहुत जरुरी है। अकेले के दम पर एकाध बार दादागिरी चल जाती है लेकिन मजबूत और स्थायी दादागिरी के लिए एक सशक्त संगठन और उसमें अंधभक्त, भेड़चाल शागिर्दों की नितांत आवश्यकता होती है। ये शागिर्द अपने मुखिया को भाई या दादा कहकर पुकारते हैं। यह दुनिया दादाओं के फसल से हर युग में खूब हरी-भरी रही है ! इन दादाओं की शान और रौब ऐसा होता है की इन्हें कुछ करना-धरना नहीं पड़ता. इनके चमचे ही एरिया में घूम-घूमकर इनके नाम की धौंस-पट्टी मारते हुए हर प्रकार का अच्छा-बुरा "केस" निपटा लेते हैं।

साहित्य और राजनीति भी दादगिरी से अछूती नहीं है। गाँव-शहर से लेकर प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर तक इनमें भी बड़े-बड़े दादा नामी जीव होते हैं। हर कवि सम्मेलन, साहित्यिक बैठक इनके मुख्य-आतिथ्य के बिना श्रृंगार-सिन्दूर विहीना विधवा जैसी लगती है ! कुछ साहित्यिक पहलवान तो गैंग बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने पंजे की जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इनकी चौकड़ी को उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार को घासीदास और निकृष्ट कोटि के साहित्यकार को एक पल में कालीदास बनाकर अकादमी पुरस्कार दिलाने या वंचित करने की चमत्कारिक प्रतिभा होती है ! ये साक्षात राहू-केतु की तरह होते हैं ! इनके समुचित पूजा-पाठ के बिना आप सूर्य हों कि चन्द्र हों, साहित्याकाश में चमक नहीं सकते !

राजनीति के क्षेत्र में भी जेन-जी का यह जमाना राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय दादागिरी का है ! भारत में देखें तो ममता दीदी का घुसपैठियों के बल पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दादागिरी का वर्षों से कोई तोड़ नहीं ! आज तक उनकी कुर्सी का एक पाया भी कोई हिला नहीं सका ! वहीं अंतराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारे महान ट्रंप दादा दुनिया भर में छाये हुए हैं ! वे चतुर व्यापारी के साथ, समदर्शी किस्म के दादा हैं। अपने देश अमेरिका में बने महंगे हथियार वे समान भाव से छोटे-बड़े, अच्छे-बुरे सभी देशों को बेचते हैं ! इसके बाद मौक़ा देखकर वे उन्हें लड़ाकू मुर्गों की तरह आपस में लड़वाते हैं। इससे फायदा यह होता है कि बिना हींग -फिटकरी लगे उनके हथियारों की परीक्षा के साथ, भरपूर मनमाफिक कीमत भी वसूल हो जाती है ! इस खुराफात से मन नहीं भरता तो वे शांति का मसीहा बनकर दोनों पक्षों को टेरिफ की धमकी दे, युद्ध रुकवाकर मुकुराते हुए नोबेल पुरस्कार भी मांगते हैं ! किसी शायर ने क्या खूब कहा है, "हाय, उनकी अदा के क्या कहने, मारते हैं हाथ में तलवार भी नहीं !"

उनकी दादागिरी का यह आलम है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को, उसकी बीवी के साथ वे आधी रात; बिस्तर से उठाकर घसीटते हुए अमेरिका के बदनाम बन्दीगृह में ठूंस सकते हैं ! है कोई माई का लाल दुनिया में जो ट्रम्प दादा के सामने चूं बोल सके?

वैश्विक राजनीति: आखिर अमेरिका को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड

राजेश जैन

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल लगभग 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर लेकिन आबादी सिर्फ 60 हजार के आसपास। यहां का 80 प्रतिशत हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। न घने जंगल, न हाईवे, न चमकते शहर। कई महीनों तक सूरज डूबता नहीं और कई महीनों तक रात खत्म नहीं होती। देखने में शांत, ठंडा और वीरान लगने वाला यह द्वीप आज वैश्विक राजनीति के सबसे गर्म मोर्चों में बदल चुका है। वजह है- अमेरिका की पुरानी लेकिन अब खुली और आक्रामक चाहत। डोनाल्ड ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है-ग्रीनलैंड चाहिए, हर हाल में चाहिए लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इस बर्फीले, कम आबादी वाले द्वीप की इतनी ज़रूरत क्यों है और क्या अमरीका इसे हासिल कर पाएगा।

सामरिक महत्व

ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह स्थित है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच सेतु जैसा काम करता है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पास ही रूस, नीचे यूरोप और पश्चिम में अमेरिका। मतलब साफ है-जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, वह आर्कटिक का चौकीदार बन जाता है। आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते। आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस- हर मोर्चे पर मुकाबला है। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसी लोकेशन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है।

ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से मौजूद है। यहां स्थित थुले एयर बेस (अब पिटुफिक स्पेस बेस) अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यहीं से अमेरिका रूस की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है, सैटेलाइट ट्रैक करता है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करता है। अगर अमेरिका को पूरा ग्रीनलैंड मिल जाता है तो वह आर्कटिक का फुल कंट्रोल सेंटर बन सकता है। रूस लगातार आर्कटिक में नए सैन्य ठिकाने, नई पनडुब्बियां, नए एयरबेस और नई मिसाइलें तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड रूस पर नजर रखने का वॉच टावर है।

दुर्लभ खनिज

आज की दुनिया मोबाइल, चिप्स, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही है। इन सबकी जान हैं-रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बिना इनके आधुनिक तकनीक ठप हो जाती है लेकिन इन पर अभी चीन का दबदबा है। करीब 60–70 प्रतिशत सप्लाई चीन से आती है। अमेरिका इस निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है और यहीं ग्रीनलैंड अहम हो जाता है। इस द्वीप की धरती के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा खजाना छिपा है। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाता है, तो टेक्नोलॉजी की जंग में चीन को सीधी चुनौती मिल सकती है।

तेल, गैस और ऊर्जा सुरक्षा

दुनिया की ऊर्जा भूख खत्म नहीं हुई है। तेल और गैस अब भी वैश्विक राजनीति का ईंधन हैं। ग्रीनलैंड के आसपास समुद्र की गहराइयों में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। अभी बर्फ और मौसम खुदाई में रुकावट हैं लेकिन जैसे-जैसे आर्कटिक पिघल रहा है, ये संसाधन सुलभ होते जा रहे हैं। अमेरिका इसे भविष्य का ऊर्जा बैंक मानकर चल रहा है।

आर्कटिक सिल्क रोड

ग्लोबल वॉर्मिंग सिर्फ पर्यावरण संकट नहीं, यह भू-राजनीतिक बदलाव भी है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से एशिया से यूरोप जाने के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। सफर हजारों किलोमीटर छोटा हो सकता है। इस रूट को कहा जा रहा है- आर्कटिक सिल्क रोड ग्रीनलैंड इस रास्ते का प्राकृतिक गेटवे है। जो इस रूट को कंट्रोल करेगा, वह वैश्विक व्यापार की दिशा तय करेगा। अमेरिका यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता।

चीन और रूस को रोकने की रणनीति

रूस आर्कटिक में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन निवेश के जरिए पैर जमा रहा है। चीन खुद को नियर-आर्कटिक स्टेट कहता है, भले ही उसका आर्कटिक से सीधा भौगोलिक रिश्ता न हो। ग्रीनलैंड में चीन ने एयरपोर्ट, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कोशिश की। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं बनाई तो उसका उत्तरी दरवाजा दुश्मनों के लिए खुल जाएगा। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, रणनीतिक दीवार है।

अमेरिका की पुरानी चाहत

ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर नई नहीं है। 1867, 1910, 1946; तीन बार अमेरिका ने डेनमार्क को ऑफर दिया। 1946 में तो 100 मिलियन डॉलर का सोना तक देने को तैयार था। हर बार जवाब मिला – ना लेकिन ट्रंप ने डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर सीधी ज़िद पकड़ ली-अगर खरीदा नहीं जा सकता तो दबाव डालो।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रुख

बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क का साफ संदेश है- ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार, अपनी संसद और अपनी पहचान है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे डरिक्सन ने अमेरिकी प्रस्ताव को बेतुका बताया। ग्रीनलैंड के नेताओं ने कहा-यह जमीन नहीं, हमारी आत्मा है। यूरोप के देशों ने भी डेनमार्क का समर्थन किया। ग्रीनलैंड बिकेगा, इसकी संभावना लगभग शून्य है क्योंकि आज दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, कानून, संप्रभुता और जनमत से चलती है लेकिन दबाव जारी रहेगा- कभी आर्थिक, कभी कूटनीतिक, कभी रणनीतिक। बहरहाल, अमेरिका, चीन और रूस; तीनों की नजरें इसी बर्फीली धरती पर टिकी हैं। बाहर से शांत दिखने वाला ग्रीनलैंड असल में भविष्य की वैश्विक राजनीति का रणक्षेत्र है। यह द्वीप तय करेगा कि आने वाले दशकों में कौन सुपरपावर रहेगा।

स्मार्टफोन अब सुरक्षित कवच: नए नियम बदल देंगे सबकुछ

• प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

आज का युग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, और स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम और व्यक्तिगत हिस्सा बन गया है। हम इसे सिर्फ बातचीत और मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कामकाज और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी हर रोज इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा उपकरण अब हमारी डिजिटल पहचान, वित्तीय लेन-देन और निजी जानकारी का मुख्य वाहक बन गया है। लेकिन इसी सहजता के पीछे छुपा है बड़ा खतरा। साइबर हमले, डेटा चोरी, फेक ऐप्स, मालवेयर और ऑनलाइन ठगी अब आम नागरिक की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्टफोन साइबर सिक्योरिटी नियम न केवल समय की मांग हैं, बल्कि ये आम नागरिक की डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बनाने का एक निर्णायक कदम भी हैं।

नए प्रस्तावों में सबसे पहला और अहम बदलाव है पूर्वस्थापित ऐप्स (ब्लोटवेयर) की स्वतंत्रता और यूजर कंट्रोल। अक्सर कंपनियां फोन में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर देती हैं, जो बैकग्राउंड में कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखते हैं। यूजर को इसका पता तक नहीं चलता और यही रास्ता स्पाइवेयर और मालवेयर के लिए आसान बनता है। नए नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ऐप यूजर की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी डेटा तक पहुंच नहीं रख सकता। इसका सीधा फायदा यह होगा कि आम नागरिक अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पर खुद नियंत्रण रख सकेगा, और केवल उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करेगा, जिन पर वह भरोसा करता है।

सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए मालवेयर स्कैनिंग की अनिवार्यता भी प्रस्ताव में शामिल है। स्मार्टफोन अब नियमित रूप से और ऑटोमैटिक रूप से अपने सिस्टम को स्कैन करेगा, और किसी भी खतरनाक सॉफ्टवेयर का तुरंत अलर्ट देगा। साथ ही, सिस्टम लॉग्स को कम से कम 12 महीने तक डिवाइस पर स्टोर करना अनिवार्य होगा, ताकि साइबर अपराध की जाँच और ट्रेस करना आसान हो। इसका मतलब है कि फोन स्वयं एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, और यूजर को अलग से किसी सुरक्षा ऐप पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

सॉफ्टवेयर अपडेट्स की प्रक्रिया में भी अब कड़ाई होगी। कंपनियों को बड़े अपडेट्स से पहले सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अपडेट में कोई छुपी हुई सुरक्षा खामी या कमजोरियां न हों। अक्सर कंपनियां पुराने वर्जन पर छोड़ देती हैं, जिससे यूजर्स असुरक्षित रहते हैं। समय पर और सुरक्षित अपडेट्स से डेटा ब्रिच का खतरा कम होगा। आम नागरिक के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि अधिकांश लोग अपडेट्स की अहमियत नहीं समझ पाते और पुराने वर्जन पर रहना उनके डेटा को जोखिम में डाल देता है।

एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है सोर्स कोड शेयरिंग। सरकार कंपनियों से सुरक्षा जांच के लिए सोर्स कोड साझा करने पर विचार कर रही है। इससे टेस्ट लैब्स में सुरक्षा कमजोरियों और वल्नरेबिलिटी को जल्दी पकड़ा जा सकेगा। हालांकि कंपनियां इसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खतरा मानती हैं। आम नागरिक के नजरिए से यह कदम बेहद उपयोगी होगा क्योंकि इससे उनके डिवाइस की सुरक्षा बढ़ेगी, बशर्ते गोपनीयता और व्यापारिक रहस्य का संतुलन बना रहे।

नए नियमों का मूल आधार डेटा प्राइवेसी है। यूजर की सहमति को अनिवार्य बनाया गया है। कोई भी ऐप बिना अनुमति के संवेदनशील डेटा नहीं ले सकेगा। यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सिद्धांतों के अनुरूप है। आम नागरिक अब अपनी निजी जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण महसूस करेगा। फेक ऐप्स और संदिग्ध लिंक्स के कारण डेटा चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही, यह कदम ठगी, वित्तीय नुकसान और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में भी मदद करेगा।

सख्त नियमों से साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर कड़ा नियंत्रण लगेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, जहां रोज लाखों लोग ऑनलाइन लेन-देन करते हैं। फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नई पाबंदियां कंपनियों को मजबूर करेंगी कि वे मजबूत सुरक्षा फीचर्स विकसित करें। इसका सीधा लाभ आम नागरिक को होगा—सुरक्षित बैंकिंग, भरोसेमंद ऐप्स और कम साइबर ठगी। हालांकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। विशेषकर छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर यह अतिरिक्त बोझ डाल सकता है और कभी-कभी इनोवेशन की गति को प्रभावित कर सकता है।

सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है— जनहित और डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करना। स्मार्टफोन अब केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि आम नागरिक का सुरक्षा साथी बन जाए। आम आदमी को भरोसा होना चाहिए कि उसका स्मार्टफोन उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं। सख्ती जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता, संतुलन और यूजर की सहमति के साथ। यदि ये नियम सही तरीके से लागू हो जाएं, तो करोड़ों भारतीयों की डिजिटल जिंदगी मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी। समय आ गया है कि हम साइबर दुनिया में सतर्क, जागरूक और सशक्त बनें, ताकि हमारी डिजिटल यात्रा सुरक्षित और निर्भय हो।

इन नियमों के सफल और सही तरीके से लागू होने से केवल व्यक्तिगत डिजिटल सुरक्षा ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का भरोसा भी और दृढ़ बन जाएगा। बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेंगे। यूजर अब निश्चिंत रह सकेगा कि उसकी वित्तीय जानकारी, निजी डेटा और ऑनलाइन लेन-देन सुरक्षित हैं। यह कदम भारत को एक डिजिटल सुरक्षित और भरोसेमंद राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा, जहां आम नागरिक की ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत डेटा पर पूरा नियंत्रण रहेगा।

ईमेल: rtirkjain@gmail.com

विवाह संबंधी आवश्यक विचारणीय तथ्य और सत्य

- सिर्फ बायोडाटा देखकर रिश्ते नहीं बनते – संवाद शुरू करें, पहल करें, कॉल करें।
- फोन की प्रतीक्षा न करें – स्वयं संपर्क करें, रिश्तों में पहल ज़रूरी है।
- मंगल कभी अमंगल नहीं होता – विवाह एक शुभ कार्य है।
- यदि आपकी बेटी स्टार है, तो दामाद भी सुपरस्टार होगा – समान दृष्टिकोण रखें।
- संपूर्णता की खोज में न उलझें – 90% लोग हमारी तरह ही हैं, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता।
- समय रहते विवाह करें – करियर और पढ़ाई के चलते उम्र बढ़ाने से बचें, बच्चों का जीवन सेट करें, कोई गैजेट नहीं खरीदना।
- उचित मेल-जोल करें – उन्हीं से संपर्क करें जो आपके अनुकूल हों, अनावश्यक अपेक्षाओं वाले रिश्तों में समय न गवाएं।
- रूप-रंग से अधिक गुणों को प्राथमिकता दें – हर व्यक्ति में कुछ खामियां होती हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें।
- आदर और सम्मान दें – कॉल करने वालों से शालीनता व विनम्रता से बात करें।
- रिश्ता पसंद न आने पर विनम्रता से मना करें – क्योंकि भविष्य में उनके परिवार में कोई उपयुक्त रिश्ता मिल सकता है।
- अब समय बदल चुका है – यदि आपको कोई कन्या उपयुक्त लगे, तो स्वयं पहल करें, कॉल करें।
- उदाहरणों से सीखें –
  - ✔ अमिताभ बच्चन से जया 12 इंच छोटी हैं।
  - ✔ सचिन तेंदुलकर से अंजली 3 साल बड़ी हैं।
  - ✔ ऐश्वर्या राय मांगलिक थीं, अभिषेक बच्चन नॉन-मांगलिक थे।
- कोई भी परफेक्ट नहीं होता – दूसरों में दोष ढूंढने से बेहतर है, अपनी खामियों को देखें।
- सकारात्मक सोचें – दहेज, कुंडली और गोत्र में उलझकर अच्छे रिश्तों को न ठुकराएं।
- समाज में बदलाव लाएं –विवाह को सरल बनाएं।

आचार, विचार, आहार और सुधार

चंद्र मोहन

आचार, विचार और व्यवहार जीवन के तीन अभिन्न अंग हैं जहाँ विचार (Thoughts) मन की सोच हैं, आचार (Conduct/Ethics) उन विचारों से उत्पन्न नैतिक कार्य हैं, और व्यवहार (Behavior) उन आचारों का बाहरी रूप से प्रकट होना है. ये तीनों मिलकर व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व (Personality) बनाते हैं, और इनका संतुलन स्वस्थ, सार्थक और प्रभावशाली जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

इनका अर्थ और संबंध:

विचार (Thoughts):
यह मन की आंतरिक गतिविधि है, आपकी मानसिकता और सोच को दर्शाता है, जैसे सकारात्मक या नकारात्मक विचार।
"जैसा सोचोगे, वैसा बनोगे" (As you think, so you are) का सिद्धांत यहाँ लागू होता है।

आचार (Conduct/Ethics):
यह आपके विचारों का नैतिक क्रियान्वयन (Ethical Action) है, जिसमें अच्छे कर्म और सदाचार शामिल हैं। यह समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान तय करता है, जैसे "आचार: परमो धर्म:" (आचरण ही परम धर्म है)।

व्यवहार (Behavior):
यह आपके आचार और विचारों का बाहरी रूप से दिखने वाला कार्य या बर्ताव है, जिससे आपका चरित्र झलकता है। यह आपके शिष्टाचार, कटुता या शालीनता को दर्शाता है।

इनका महत्व (Importance):
एक-दूसरे पर निर्भरता: विचार कर्म (आचार) को जन्म देते हैं, और आचार आपके व्यवहार में दिखता है; ये रथ के दो पहियों की तरह हैं।
व्यक्तित्व निर्माण: ये चारों (आचार, विचार, आहार, विहार) मिलकर आपके व्यक्तित्व की गहरी परतें बनाते हैं, जिससे आपका चरित्र बनता है।
संतुलित जीवन: इनका सही संतुलन हमें खुशहाल और प्रभावशाली जीवन जीने में मदद करता है; गलत विचार मन को दूषित करते हैं, और गलत आचार-व्यवहार हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
संक्षेप में, विचार आपकी नींव हैं, आचार उन नींव पर बनने वाली इमारत है, और व्यवहार उस इमारत का बाहरी रूप है जो दुनिया देखती है, और ये तीनों मिलकर व्यक्ति की पहचान बनाते हैं।
आहार, विहार और व्यवहार' का अर्थ है खान-पान (आहार), जीवनशैली/गतिविधियाँ (विहार), और सोच/मानसिक स्थिति (व्यवहार); ये तीनों मानव स्वास्थ्य और कल्याण के मूलभूत स्तंभ हैं, जहाँ संतुलित आहार, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय जीवन (विहार), और सकारात्मक विचार (व्यवहार) मिलकर एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन बनाते हैं, खासकर आयुर्वेद और योग में इन पर विशेष बल दिया जाता है. OBJ

आहार (Diet/Food)
अर्थ: हम जो भी खाते-पीते हैं, जिसमें भोजन की गुणवत्ता, पोषक तत्व और मात्रा शामिल है.
महत्व: शरीर का आधार, शक्ति, रंग (वर्ण) और ओज (तेज) प्रदान करता है.
उदाहरण: मौसमी फल-सब्जियां, प्रोटीन, आयरन युक्त भोजन (मांस, मछली, अंडे), और आयोडीनयुक्त नमक का सेवन; चीनी व तेल का कम उपयोग.

विहार (Lifestyle/Activity)
अर्थ: शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम, नींद, सामाजिक संबंध और समग्र जीवनशैली.
महत्व: शरीर की फिटनेस, पाचन, बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता (व्याधि-क्षमत्व) को ठीक रखता है.
उदाहरण: योग, खेलकूद, शारीरिक श्रम, नशा (शराब, धूम्रपान) से बचना.

व्यवहार (Behavior/Thought/Mindset)
अर्थ: हमारी सोच, विचार, भावनाएं, मानसिक स्थिति और दैनिक क्रियाकलाप.
महत्व: मानसिक स्वास्थ्य, मनोवृत्ति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है.
उदाहरण: सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन, शांत मन से भोजन करना (भोजन को "अच्छा" या "बुरा" न मानना), और संयमित यौन व्यवहार.

समग्र महत्व
आयुर्वेद के अनुसार, ये तीनों मिलकर स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाते हैं.
संतुलित आहार, सक्रिय विहार और सकारात्मक व्यवहार का संगम ही एक समृद्ध और उत्कृष्ट जीवनशैली की नींव रखता है.
इनमें से किसी एक में भी असंतुलन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अनियमित खानपान से अव्यवस्थित भोजन व्यवहार (Binge Eating).
पॉजिटिव सोच रखने के लिए नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, खुद से दयालुता से बात करें, स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं (व्यायाम, अच्छा भोजन, नींद), और अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें; लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और दयालुता व क्षमा का भाव रखें ताकि मन शांत और ऊर्जावान रहे।

1. सोच और मानसिकता बदलें
नकारात्मकता से बचें: नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाएं।
कृतज्ञता (Gratitude) दिखाएं: जो आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें; यह कमी से ध्यान हटाकर प्रचुरता पर लाता है।
सकारात्मक आत्म-चर्चा करें: खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से करते हैं; सकारात्मक प्रतिज्ञान (affirmations) दोहराएं।
नकारात्मक विचारों को चुनौती दें: जब कोई बुरा विचार आए, तो उसका तर्कसंगत मूल्यांकन करें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें।
लक्ष्य निर्धारित करें: जीवन में उद्देश्य रखें और उन्हें छोटे, प्राप्त करने योग्य हिस्सों में बांटें।

२. व्यवहार और जीवनशैली में बदलाव
स्वस्थ जीवनशैली: व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें; यह मूड बेहतर करता है।
मज़ेदार रहें: खुद को हंसने दें और रोज़मर्रा की चीज़ों में हास्य ढूंढें।
दूसरों के प्रति दयालु बनें: दूसरों की मदद करने और दयावान होने से आपको अच्छा महसूस होगा।
माफ़ करना सीखें: मन में गुस्सा न रखें, माफ करने से मन हल्का होता है।

३. मन को शांत रखें
ध्यान (Meditation) करें: मन को शांत करने और तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्रकृति में समय बिताएं।
खुद से बात करना कम करें: कुछ समय के लिए खुद से नकारात्मक बातें करना बंद करें।
इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप धीरे-धीरे अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
सोच, विचार और दृष्टिकोण (Thinking, Thought, and Perspective) आपस में जुड़े हैं, जहाँ सोच (Thinking) एक मानसिक प्रक्रिया है, विचार (Thought) उस प्रक्रिया का उत्पाद है, और दृष्टिकोण (Perspective) किसी विषय या स्थिति को देखने का एक व्यक्तिगत लेंस (नजरिया) है, जो हमारी सोच और विचारों को प्रभावित करता है, जिससे हम सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। सकारात्मक सोच से जीवन में खुशी और बेहतर सामना करने की क्षमता आती है, जबकि नकारात्मक सोच निराशा पैदा कर सकती है।
सोच और विचार में सुधार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, माइंडफुलनेस (सचेतनता) का अभ्यास करना, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, तथा नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती देना महत्वपूर्ण है; इसके लिए जर्नलिंग, ध्यान और सकारात्मक आत्म-चर्चा जैसे तरीके मदद कर सकते हैं, जो मानसिक स्पष्टता और बेहतर निर्णय लेने में सहायक होते हैं।

सोच में सुधार के तरीके:

1. माइंडफुलनेस और ध्यान (Mindfulness & Meditation):
वर्तमान पर ध्यान दें: अतीत की चिंता या भविष्य की फिक्र छोड़कर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें।
गहरी साँसें लें: गहरी साँस लेने के व्यायाम (Breathing Exercises) मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करते हैं।
नियमित ध्यान: हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से मन को शांत रखने और अति-सोच से बचने में मदद मिलती है।

२. नकारात्मक सोच को चुनौती दें (Challenge Negative Thoughts):
विचारों को लिखें: जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक डायरी में लिखें (जर्नलिंग)।
तर्कसंगत सवाल पूछें: खुद से पूछें, "क्या यह सच है?" या "क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है?"।
सकारात्मक प्रति-कथन: नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और उत्साहवर्धक वाक्यों से बदलें, जैसे "मैं यह कर सकता हूँ"।

३. जीवनशैली में बदलाव (Lifestyle Changes):
व्यायाम: नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव कम करती है और मूड सुधारती है।
स्वस्थ आहार और नींद: पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें, क्योंकि यह मानसिक ऊर्जा के लिए ज़रूरी है।
सकारात्मक लोगों के साथ रहें: ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सहायक हों और आपको अच्छा महसूस कराएं।

4. मानसिक स्पष्टता के लिए अभ्यास (Practices for Mental Clarity):
'चिंता का समय' निर्धारित करें: दिन में ३० मिनट का समय चिंता करने के लिए तय करें, बाकी समय चिंता न करें।
कृतज्ञता (Gratitude): उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं।
समस्या-समाधान पर ध्यान दें: विचारों को केवल सोचने के बजाय करें।

भारत रत्न के बनते 'खुदरा बाजार' से उठते सियासी सवाल?

कमलेश पांडेय

अपने चहेते नेताओं को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' दिलवाने की जो होड़ नेताओं और समाजसेवियों में मची है, उससे इसकी प्रतिष्ठा पर आंच स्वाभाविक है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को 'खुदरा बाजार' क्यों बनने दे रहे हैं क्योंकि किसी को इसे देना या न देना उनका विवेकाधिकार/विशेषाधिकार समझा जाता है। इसलिए उनकी भूमिका पर सियासी सवाल उठना लाजिमी है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इसका राजनीतिक जवाब तो कतई नहीं दें!

कहना न होगा कि 'भारत रत्न' भारत वर्ष का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना २ जनवरी 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसलिए सियासी लाभ या तुष्टिकरण के लिए इसे प्रदान करने से इसकी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गरिमा उसी प्रकार से घटेगी जैसे नोबल का शांति पुरस्कार पाने की सार्वजनिक ललक से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंफ और इस पुरस्कार की घटी है क्योंकि इस हेतु चल रही लॉबिंग से पुरस्कारों की दुनिया उसी तरह से शर्मसार हुई है जैसे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित पीएचडी की नियमित डिग्री के समानांतर मानद डिग्री देने के खुले कारोबार से 'डॉ' उपाधि की महत्ता शैक्षणिक व सामाजिक जगत में घटी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 53 व्यक्तियों को यह सम्मान मिल चुका है जिसमें अधिकांश राजनेता, वैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं। 1954 में प्रथम प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी रहे। शुरू में केवल जीवित व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार मिलता था लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी देने का प्रावधान जोड़ा गया। अन्य उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में जवाहरलाल नेहरू (1955), पुरुषोत्तम दास टंडन (1961), इंदिरा गांधी (1971), वल्लभभाई पटेल (1991), गोविंद बल्लभ पंत (1957), मोरारजी देसाई (1991), जेआरडी टाटा (1992, एकमात्र व्यवसायी), गुलजारीलाल नंदा (1997), अरुणा आसफ अली (1997), जयप्रकाश नारायण (1999), सचिन तेंदुलकर (2014, खेल क्षेत्र से पहला), अटल बिहारी बाजपेयी (2015), प्रणब मुखर्जी (2019 पूर्व राष्ट्रपति)

लालकृष्ण आडवाणी (2024), पीवी नरसिम्हाराव (2024, मरणोपरांत), चौधरी चरण सिंह (2024, मरणोपरांत), कर्पूरी ठाकुर (2024, मरणोपरांत), एमएस स्वामीनाथन (2024) आदि शामिल हैं।

इन 53 पुरस्कृत शख्सियत में से अधिकतर राजनीति और विज्ञान से जुड़े हैं जबकि एक खिलाड़ी और एक व्यवसायी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस् कार 1954 से दिया जा रहा है। पहले यह अधिकतम तीन लोगों को दिया गया जबकि 1999 में अधिकतम चार लोगों और 2024 में अधिकतम पांच लोगों को दिया जा चुका है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को लेकर वर्ष दर वर्ष उठती मांगें और उससे उत्पन्न होने वाले सियासी, सामाजिक व सांप्रदायिक विवाद अब एक नया मोड़ ले चुके हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर इसे खुदरा बाजार क्यों बनने दिया जा रहा है?

ऐसा इसलिए कि विभिन्न राजनीतिक दलों और समर्थकों द्वारा पहले बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर और फिर चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और नरसिम्हा राव आदि के लिए जो मांगें उठाई गईं, वो धीरे धीरे पूरी हुई। यही वजह है कि हाल के वर्षों में नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, मान्यवर कांशीराम, वीपी सिंह, श्रीकृष्ण सिंह समेत अन्य नेताओं व किसान नेताओं के लिए भी इसे प्रदान करने की व्यापक मांग उठ रही है जिससे भारत रत्न जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की गम्भीरता प्रभावित होती है क्योंकि यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह अजीबोगरीब बात यह कि साल 1977 में समाजवादी-राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि वाली जनता पार्टी सरकार ने जब इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया था तो अब इसी पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं में इसे पाने को लेकर सर्वाधिक होड़ क्यों मची हुई है?

बता दें कि 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुन: इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रारम्भ किया। आमतौर पर इसे गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें पदक और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। प्रति वर्ष अधिकतम तीन व्यक्तियों तक सीमित रहता है हालांकि कभी-कभी इससे अधिक घोषित होते हैं।

बता दें कि भारत रत्न के लिए चयन प्रक्रिया सरल लेकिन विशेष है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं नामों का चयन कर राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। इसमें कोई औपचारिक नामांकन या समिति की आवश्यकता नहीं होती और जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जहां तक प्रमुख नियम की बात है तो प्रति वर्ष अधिकतम तीन व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा सकता है हालांकि कभी-कभी इससे अधिक घोषणा हो चुकी है। यह कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक सेवा या किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।

जहां तक इसके चयन प्रक्रिया की बात है तो प्रधानमंत्री खुद ही नाम तय करते हैं जो सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है; हालांकि उनके मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्यमंत्री या राज्यपाल भी उन्हें सुझाव दे सकते हैं जिसे मानना या न मानना उनके विवेक पर निर्भर करता है। मसलन, भारत रत्न के नाम प्रधानमंत्री द्वारा किसी औपचारिक समयबद्धता के बिना चुने जाते हैं, मुख्यत: उनके कार्यकाल के दौरान जब वे योग्य व्यक्ति के असाधारण योगदान पर विचार करते हैं। वे मंत्रिमंडल सदस्यों, राज्यपालों या मुख्यमंत्रियों से प्राप्त सिफारिशों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में विचार-विमर्श करते हैं। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, और आमतौर पर गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता।

जहां तक इसके चयन का तरीका की बात है तो प्रधानमंत्री स्वयं अंतिम नाम चुनते हैं और सीधे राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं, बिना किसी समिति या नामांकन प्रक्रिया के। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी होती है, और पुरस्कार गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के आसपास प्रदान किया जाता है। जहां तक समय और उदाहरण की बात है कि चयन कब होता है, तो जान लीजिए कि इसका कोई निश्चित कैलेंडर नहीं होता और यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी-फरवरी में ही पांच नाम घोषित किए थे। ऐतिहासिक रूप से, नेहरू को 1955 में स्वतंत्रता के बाद जल्दी चुना गया। इसी प्रकार की हड़बड़ाहट 1971 में इंदिरा गांधी ने भी दिखाई जबकि प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी बाजपेयी, डॉ मनमोहन सिंह, और नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने खुद ही अपने लिए भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं की।

भारत रत्न की मांगें अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा अपने नेताओं के लिए की जाती हैं, जो इसे सामान्य खुदरा बाजार की तरह प्रचारित लगने का कारण बनती हैं। यह सम्मान अब वोट बैंक साधने या सियासी प्रतिद्वंद्वियों को संन्यास की ओर धकेलने का हथियार बन गया है। लिहाजा राजनीतिक विश्लेषण में इसे 'खुदरा बाजार' की उपमा दी जाती है क्योंकि मांगें बार-बार और रणनीतिक रूप से उठाई जाती हैं, जैसे बाजार में सामान की लगातार प्रचार। जिस तरह से भारत रत्न को राजनीतिक उपकरण बनाने का चलन हाल के वर्षों में बढ़ा है, जहां सत्ता पक्ष पुरस्कार देकर वोटर आधार मजबूत करता है और विपक्ष मांग कर दबाव बनाता है। उदाहरणस्वरूप, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को 2024 चुनाव से पहले पुरस्कार देकर भाजपा ने बिहार में सामाजिक न्याय की छवि बनाई। इसके चलते इसका राजनीतिकरण बढ़ा है और अब नवीन पटनायक,

नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे नेताओं के लिए उठती मांगें भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं जो पार्टी के भीतर विवाद पैदा करती हैं।

बिहार में हालिया उदाहरण यह सामने आया कि जनवरी 2026 में जदयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा, और उन्हें 'समाजवादी आंदोलन का अनमोल रत्न' बताया। हद तो यह कि जहां उनकी सहयोगी भाजपा ने समर्थन किया लेकिन जदयू और आरजेडी ने आलोचना की, इसे राजनीतिक संन्यास की चाल बताया। इससे पहले भी गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने ऐसी मांगें उठाईं ताकि नीतीश का राजनीतिक करियर समाप्त हो। इसलिए यहां पर भारत रत्न का 'खुदरा बाजार' की उपमा देने का स्पष्ट अर्थ है कि यह प्रासंगिक है क्योंकि मांगें सस्ती और बार-बार होती हैं जैसे खुदरा व्यापार में ग्राहक आकर्षित करने के लिए छूट। ऐसे में पुरस्कार अब असाधारण सेवा के बजाय सियासी लाभ का साधन लगता है, जो इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। विपक्ष इसे 'चमकदार राजनीति का हथियार' कहता है।

विश्व राजनीति: ईरान बनाम अमेरिका विनाशक युद्ध की आहट और दुनिया

डॉ घनश्याम बादल

ईरान आज जिस दौर से गुजर रहा है, वह केवल एक देश की आंतरिक अशांति नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति का वह विस्फोटक मोड़ है जहाँ से छद्म लोकतंत्र और मजहबी कट्टरता के टकराव से उठी एक चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा सकती है।

आज उनके अयातुल्लाह काम नहीं शासन के ख़िलाफ़ तेहरान समेत ईरान के कई शहरों और कस्बों की सड़कों पर उमड़ता विद्रोही जन सैलाब, उबलता जनाक्रोश, सरकार की दमनकारी नीतियां और इसके समानांतर हर हाल में दुनिया का दरोगा बनने की आठ धर्मी पर अड़े अमेरिका की सैन्य चेतावनियाँ उस त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं जिसके केंद्र में विनाशकारी युद्ध की आशंका लगातार गहराती जा रही है।

ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन अब केवल आर्थिक शिकायतों तक सीमित नहीं हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और गिरती जीवन-स्तर की पीड़ा ने जिस असंतोष को जन्म दिया है, ईरान में जिस गति से महंगाई बढ़ी है उससे वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले रसातल में जा चुकी है । अब तो विद्रोहियों के समर्थन में उमड़ना हुआ जन सैलाबसीधे-सीधे शासन व्यवस्था की वैधता पर सवाल बन चुका है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह पहली बार है जब ईरान का धर्मतंत्र जनता के इतने बड़े हिस्से से वैचारिक रूप से कटता हुआ दिखाई देता है। महिलाओं, युवाओं, छात्रों और शहरी मध्यम वर्ग की भागीदारी ने इन प्रदर्शनों को साधारण विरोध से कहीं आगे पहुँचा दिया है और एक तरह से सीरिया जैसे हालातो की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।

जहां सरकार विरोधी विद्रोही हिंसा एवं आगजनी पर उतरे हुए हैं तथा सरकार के तख्त पलट के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं वहीं सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही कठोर से कठोरता होती जा रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट, सामूहिक गिरफ्तारियाँ, सुरक्षा बलों की गोलीबारी और मृत्युदंड ये सब संकेत देते हैं कि ईरान में खामनेई सत्ता पर किसी भी कीमत पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

हालांकि ईरानी नेतृत्व इसे विदेशी साजिश करार देता है, लेकिन यह तर्क अब घरेलू स्तर पर भी असर खोता जा रहा है। सवाल यह नहीं कि विरोध क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्या मौजूदा व्यवस्था उन्हें लंबे समय तक दबा पाएगी?

आंतरिक उथल-पुथल के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर ख़तरनाक ऊँचाई पर पहुँच गया है। अमेरिका मानवाधिकार उल्लंघनों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आधार बनाकर लगातार दबाव बना रहा है। प्रतिबंधों का नया दौर, सैन्य चेतावनियाँ और मध्य-पूर्व में अमेरिकी नौसैनिक तैनाती इस बात का संकेत हैं कि वाशिंगटन 'देखो और इंतजार करो' की नीति से आगे बढ़ने का विकल्प खुला रखे हुए है।

हालाँकि, यह समझना ज़रूरी है कि अमेरिका भी पूर्ण युद्ध नहीं चाहता। इसकी वज़ह वाशिंगटन की उदारता या शांतिप्रियता नहीं अपितु यूक्रेन युद्ध, इज़राइल-गाज़ा संघर्ष और घरेलू राजनीतिक दबावों के बीच एक और बड़े युद्ध का बोझ उठाना वाशिंगटन के लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि अमेरिका की रणनीति फिलहाल सीमित सैन्य कार्रवाई, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक धमकियों तक सिमटी दिखती है। इतिहास गवाह है कि युद्ध अक्सर योजनाओं से नहीं, दुर्घटनाओं से शुरू होते हैं।

यह तो तय है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है, तो उसके प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे।

क्या हकीकत में दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से मोहभंग हो गया है या कराया गया है?

रामस्वरूप रावतसरे

दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत के 'चाणक्य' कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने अचानक यह ऐलान करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दिग्विजय सिंह का मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है लेकिन इससे पहले ही उनके पीछे हटने की घोषणा ने दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि दिग्विजय सिंह का अचानक राज्यसभा से मोहभंग क्यों हुआ? वहीं यह सवाल भी उठने लगा कि दिग्विजय सिंह की जगह अब एमपी से कांग्रेस किसे राज्यसभा भेजेगी।

दरअसल पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दिग्विजय सिंह का यह फैसला कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की रणनीतिक सोच का हिस्सा बताया जा रहा है। यह कदम कांग्रेस के उस नए राजनीतिक रोडमैप से जुड़ा माना जा रहा है जिसे राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का फोकस अब केवल संसद के भीतर आक्रामक विपक्षी भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करना प्राथमिकता बन चुका है। इसी सोच के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों में लगाने और युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को भी इसी रणनीति के तहत राज्यसभा की भूमिका से मुक्त कर दोबारा मैदान में उतारने की तैयारी है।

जानकारों के अनुसार पार्टी दिग्विजय सिंह को एक बार फिर मध्य प्रदेश में बड़े संगठनात्मक मिशन की जिम्मेदारी सौंप सकती है। 2017-18 में की गई उनकी 3300 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा आज भी कांग्रेस के लिए एक मजबूत राजनीतिक प्रतीक मानी जाती है। उस परिक्रमा ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जान फूंकी थी, बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को वैचारिक और भावनात्मक बढ़त भी दिलाई थी। अब चर्चा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक और नर्मदा परिक्रमा या इसी तरह का कोई बड़ा जनसंपर्क अभियान दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कराया जा सकता है, ताकि बिखरे संगठन को जोड़ा जा सके और युवा कार्यकर्ताओं को दिशा दी जा सके।

इस बीच दिग्विजय सिंह के फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर सामाजिक संतुलन की बहस भी तेज हो गई है। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने खुलकर मांग रखी है कि राज्यसभा में इस बार दलित समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि मध्य प्रदेश की करीब 17 फीसदी अनुसूचित जाति आबादी की यह लंबे समय से अपेक्षा रही है। हालांकि इस मांग पर दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि टिकट का फैसला उनके हाथ में नहीं है लेकिन यह जरूर तय है कि वे अपनी सीट खाली कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के हटने के साथ ही कांग्रेस की एकमात्र सुरक्षित मानी जा रही राज्यसभा सीट अब सियासी मुकाबले का केंद्र बन गई है। पार्टी के भीतर कई बड़े नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में लॉबिंग और समीकरण तेज होंगे। सबसे चर्चित नाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है। समय-समय पर यह संकेत मिलते रहे हैं कि वे एक बार फिर केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। अगर कमलनाथ राज्यसभा की रेस में उतरते हैं, तो उनके राजनीतिक कद और अनुभव के चलते बाकी दावेदारों की राह आसान नहीं रहेगी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी मजबूती से उभर रहा है। विधानसभा में मुखर भूमिका, सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख और संगठन पर पकड़ उन्हें युवा नेतृत्व के चेहरे के तौर पर पेश करती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव भी इस दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं, जबकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नाम पर भी चर्चा है, जो लंबे समय से किसी बड़ी जिम्मेदारी की प्रतीक्षा में बताए जाते हैं।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं जिनमें से आठ पर भाजपा और तीन पर कांग्रेस का कब्जा है। 2026 में तीन सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन मौजूदा संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस के लिए फिलहाल सिर्फ एक सीट ही सुरक्षित मानी जा रही है। ऐसे में दावेदारी की लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि हर बड़ा नेता जानता है कि मौका एक ही है और दावेदार कई।

राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान दिग्विजय सिंह भाजपा और आरएसएस के खिलाफ वैचारिक हमलों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी मुखरता ने उन्हें सेक्युलर और प्रगतिशील तबकों में लोकप्रिय बनाया लेकिन साथ ही वे कई विवादों के केंद्र में भी रहे। हाल के दिनों में जब उन्होंने भाजपा-आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की और कांग्रेस में विकेंद्रीकरण की जरूरत बताई, तो सियासी हलकों में इसे भी उनके नए रोल की भूमिका के तौर पर देखा गया। यह भी कयास लगाये गये कि क्या शशि थरूर थरूर की तरह दिग्विजय सिंह का भी कांग्रेस से मन भर गया है।

कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से हटना कांग्रेस की बदलती रणनीति, पीढ़ीगत बदलाव और मध्य प्रदेश में संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें वास्तविकता कितनी है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस खाली होने वाली सीट पर किसे मौका देता है और क्या यह फैसला पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा या फिर पार्टी लाईन से अलग अपना बौद्धिक प्रदर्शन करने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस में जो अब तक होता आया है, वह दिग्विजय सिंह के साथ भी होगा।

बीएमसी चुनाव 2026 - महायुति के राजनीतिक कौशल को मिली जनस्वीकृति

कमलेश पांडेय

बीएमसी चुनाव 2026 में भाजपा-शिवसेना (शिंदे) गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह जीत ठाकरे परिवार के तीन दशक पुराने दबदबे को समाप्त करती है। बीएमसी के 227 वार्डों में बहुमत चिह्न 114 है, जहां महायुति 118 वार्डों में विजयी रही। इस चुनाव में भाजपा ने 89 सीटें जीतीं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 29 मिलीं जिससे महायुति गठबंधन को 118 सीटों का बहुमत प्राप्त हुआ जबकि शिवसेना (यूबीटी) को मात्र 65 सीटें मिलीं जो अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन रहा। वहीं, कांग्रेस को 24, एआईएमआईएम को 8 एनसीपी अजीत पवार को 3, सपा को 2 और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली। वहीं राज्य के अन्य निकायों में भी भाजपा ने 25 में से 29 पर कब्जा जमाया।

देखा जाए तो कुल 227 वार्डों में मुंबई की सबसे अमीर निगम या यूं कहें देश के भी सबसे अमीर नगर निगम पर भाजपा नीत गठबंधन का कब्जा हो गया। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों, विशेषकर बीएमसी में, भाजपा-शिंदे शिवसेना गठबंधन ने बहुमत हासिल कर बड़ा जीत दर्ज की है। यह परिणाम ठाकरे गुट की लंबी हुकूमत को समाप्त करता है और राज्य की सियासत में महायुति की मजबूती दर्शाता है। वहीं, पहली बार एआईएमआईएम ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे सेक्यूलरों का जनाधार खिसका।

इसके राजनीतिक मायने अहम हैं क्योंकि यह जीत महाराष्ट्र में भाजपा को शहरी राजनीति का 'असली किंग' बनाती है जो उसके राज्यव्यापी प्रभाव को मजबूत करती है। खास बात यह कि तमाम व्यक्तिगत विरोधाभासों के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के साथ गठबंधन करके न केवल मराठी वोटों को विभाजित किया बल्कि उस विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर किया, जो विगत तीन दशकों से बीएमसी पर हावी था।

एक बात और, महायुति के विकास के एजेंडे ने मुम्बई में पहचान की राजनीति को बहुत पीछे छोड़ दिया। खासकर ठाकरे भाइयों (उद्धव-राज) की हार से विपक्षी एकता की कमी उजागर हुई। वहीं चाचा-भतीजा एकता यानी शरद पवार और अजित पवार की एकता भी उनके हक में कोई रंग नहीं दिखा सकी। वहीं, कांग्रेस को भी कोई खास फायदा नहीं मिला। कुल मिलाकर बिखरे विपक्ष ने महायुति की राह आसान बना दी।

देखा जाए तो मराठवाड़ा के वैभव को वापिस पाने के घिसे पिटे मुद्दे पर क्षेत्रीय क्षत्रपों यानी ठाकरे परिवार और पवार परिवार की सियासी एकता भी फुस्स हो गई। इसका महाराष्ट्र की सियासत पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और अब एकनाथ शिंदे की बारगेनिंग पावर भी बढ़ेगी। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस उनकी कितनी सुनेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा।

बता दें कि महायुति ने 29 निगमों में व्यापक जीत दर्ज की जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करती है। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व क्षमता को इससे नया बल मिला है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल सियासी हाशिए पर सिमट गए। इससे राज्य में 'ट्रिपल इंजन' की सरकार का विस्तार होगा और जनहितकारी कार्य करने में भाजपा नीत महायुति को बल मिलेगा। जहां तक राष्ट्रीय संदर्भ की बात है तो बीएमसी जैसी महत्वपूर्ण जीत भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर शहरी गठबंधनों को मजबूत करने का संदेश देती है। यह 2024 लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा की वापसी दर्शाती है, जो विकास-केंद्रित नीतियों पर जोर देती है। वहीं, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव विपक्ष के लिए यह चेतावनी है कि क्षेत्रीय दलों का विभाजन जारी रहेगा।

इसका राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है। सच कहें तो यह जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति को भविष्य के विधानसभा और राष्ट्रीय चुनावों के लिए मजबूत आधार देती है। खासकर विकास परियोजनाओं जैसे मेट्रो, कोस्टल रोड और एअरपोर्ट पर जोर ने मतदाताओं को प्रभावित किया। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी की हार संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करती है। अब बीएमसी पर नियंत्रण से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी नियोजन और सेवाओं में बदलाव संभव है। यह शहरी महाराष्ट्र में भाजपा के विस्तार को रेखांकित करता है और ठाकरे ब्रांड को पीछे धकेलता है। इससे राज्य स्तर पर महायुति का प्रभुत्व बढ़ेगा।

पालिका ही बची, न्याय गायब

डॉ० मत्स्येन्द्र प्रभाकर

'यशवन्त' का अर्थ जिसे यश प्राप्त हो, या 'महिमाशाली' होता है किन्तु जस्टिस यशवन्त वर्मा के मामले में नाम के साथ 'यश' का अन्त हो गया लगता है। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि बहुत गम्भीर विषय है लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब गम्भीर बातों, अथवा सवालों पर सोच-समझ तथा चिन्तन-मनन अत्यन्त कम होता है। परिणामतः विशेषकर, न्यायपालिका के क्षेत्र में अब 'पालिका' यानी प्रणाली अथवा व्यवस्था ही शेष है, 'न्याय' लगभग लापता या, कमसे कम दुर्लभ तो अवश्य हो गया है। अधिकतर मामलों में जिन्हें 'कथित' न्याय मिलता है, उमकी तो बड़ी चर्चा होती है किन्तु दूसरे पक्ष के समग्र हितों को अनदेखा, अर्थात नजरअन्दाज कर दिया जाता है।

यशवन्त प्रकरण ने भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को उनकी याचिका खारिज कर महाभियोग जाँच समिति के गठन को वैध ठहराया, जिससे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रक्रिया तेज हो गयी है।

यह घटना न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रतीक मात्र है, जहाँ आन्तरिक जाँच और पारदर्शिता की कमी ने संस्थागत क्षय को बढ़ावा दिया।

जस्टिस वर्मा का वर्मा :

वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट आवास पर मार्च 2025 में अग्निशमनकर्मियों को जले नोट मिलने से कैश काण्ड उजागर हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने अगस्त 2025 में तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविन्द कुमार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है अब वह संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन यह फैसला न्यायिक स्वायत्तता पर सवाल उठाता है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उदाहरण :

भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई प्रमाणित मामले सामने आये हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन पर उनके परिवार की अकूत सम्पत्ति और अनुकूल फैसलों के बदले सौदेबाजी के आरोप लगे, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस सौमित्र सेन ने 2011 में धन दुरुपयोग के दोषी पाये जाने पर महाभियोग से पहले इस्तीफा दे दिया। प्रशान्त भूषण ने 2009 में दावा किया कि पिछले 16-17 मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट थे जिसके लिए उन्हें अवमानना का सामना करना पड़ा।

प्रणालीगत कमियाँ :

निचली अदालतों में 80-90% मामले लम्बित रहते हैं, जहाँ क्लर्क रिश्वत लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है, जो भ्रष्ट जजों को पदोन्नत करती है। जजेस (इन्क्वायरी) एक्ट 1968 के तहत महाभियोग दुर्लभ है—1993 के बाद कोई जज हटाया नहीं गया। इन-हाउस जाँच परिवारवाद को बढ़ावा देती है।

सुधार के उपाय :

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना से नियुक्ति और जाँच पारदर्शी हो सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जजों को शामिल कर एफआईआर सम्भव बनाएँ। डिजिटल निगरानी और समयबद्ध जाँच अनिवार्य करें। गंभीरता से सोचना होगा कि न्यायपालिका को घेरे हुए वर्तमान संकट ही न्यायपालिका को सही तरीके से पुनर्स्थापित करने का अवसर है।

स्वतंत्र पत्रकार

श्री राधा कृष्णा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य मे कुमावत समाज तेलंगाना को आमंत्रित

श्री कुमावत समाज ट्रस्ट मुलैकड़े चेन्नई समाज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने हेतु निमंत्रण देने पधारे समाज के पुखराज मानणिया, माणकचंद नागौरा, चंपालाल मावर, मदनलाल दुबलदिया का कुमावत समाज तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष तिलायचा सोनाराम व कुमावत समाज किसरा के अध्यक्ष पप्पुलाल बाकरेचा द्वारा सम्मान किया गया। पधारे हुवे अतिथि ने महोत्सव की विस्तार से जानकारी दी तथा तेलंगाना प्रांत में रहने वाले सभी कुमावत समाज बंधुओं को आमंत्रित किया। इस अवसर पर सदस्य धर्माराम डेया, सोहनलाल मानणिया, रूपाराम मालीवाड़, जगदीश रोहिवाल, पारस पटेल, जयप्रकाश चांदोरा, महेन्द्र दुबलदिया एवं समाज बन्धु उपस्थित थे।

हिंदी सिनेमा के प्रथम सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे
जब दिल ही टूट गया...

18 जनवरी, गायक-अभिनेता कुन्दन लाल सहगल की पुण्यतिथि पर सिनेजगत उन्हें सादर याद करता है, जिनका निधन 1947 में केवल 42 वर्ष की आयु में अमृतसर में स्प्लीन बीमारी से हुआ था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू शहर के एक मध्यमवर्गीय हिन्दू परिवार में हुआ, जहाँ पिता अमरचंद सहगल जम्मू-कश्मीर के राजा प्रताप सिंह के दरबार में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे तथा माता केसरबाई देवी घर पर ही भजन-कीर्तन गाकर उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती रहीं, जिन्होंने बचपन से ही राग-रागिनी, ठुमरी और भक्ति संगीत में रुचि जगाई। मिशन स्कूल जम्मू से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हाथ अजमाया रेलवे में क्लर्क की नौकरी, मोरवी रियासत में निजी सचिव का कार्य तथा जर्मन समाचार एजेंसी में अनुवादक के रूप में सेवा, किंतु संगीत की गहन ललक ने इन्हें 1931 में न्यू थिएटर्स कलकत्ता की ओर खींच लिया जहाँ संगीतकार रायचंद बोराल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और निखारा। चंडीदास (1932) तथा सुबह का सितारा (1932) से अभिनय क्षेत्र में प्रवेश हुआ, फिर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित देवदास (1935) उनकी पहली विशाल सुपरहिट फिल्म बनी जिसमें बाबूजी धीरे चलना, जुगनू उड़ गये सावन और इकरार बांधा जैसे अमर गीतों ने उन्हें घर-घर पहुँचा दिया। कुल 36 फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी ,28 हिंदी, 7 बंगाली तथा 1 तमिल

भाषा में, जिनमें जिंदा लाश, ख़ून का सौदा, ज़िंदगी (1940), लाहौर (1949) तथा तानसेन जैसी कालजयी कृतियाँ शामिल हैं। उन्होंने लगभग 185 गीतों को अपनी अनुपम स्वरलहरी से सजाया—हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, तमिल तथा फारसी भाषाओं में, जिसमें ग़ज़लें जैसे प्रेमनगर में बसाऊंगा घर मैं, नुक्ताचीं है गम-ए-दिल, मैने तेरी होकर भी निभाई ना प्यार की बात कालजयी बनीं। वे प्रथम गायक बने जिन्होंने अपने गीतों पर रॉयल्टी प्राप्त की, 1924 में अमानत बाई से विवाह कर चार पुत्रों (जयदीप, मदन, विजय, अनिल) तथा एक कन्या अलका के स्नेहमय पिता बने। शराब के प्रेमी रूप में कुख्यात कहा जाता है बिना चखे गीत नहीं गाते थे जिससे उनकी आवाज़ में एक अनूठी खराश व गहराई आ जाती, लाहौर में 1930 के दशक का उनका लाइव प्रदर्शन संगीत इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना तथा फ़ारसी ग़ज़ल रमा रा बा गम्ज़ा कुश्तह को हिंदी में अनूदित कर गाया। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मधुबाला सहित असंख्य कलाकार उनके प्रखर प्रशंसक रहे, जिनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा को प्रेरित करती रहती है तथा उनकी गीत-संगीत की धरोहर नई पीढ़ी के हृदय में जीवंत बनी हुई है।

BJD को तोड़ने की साज़िश चल रही थी, विजय महापात्रा मदद कर रहे थे

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : BJD को तोड़ने की साज़िश थी। आधी रात का ऑपरेशन फेल हुआ, दोपहर का ऑपरेशन भी फेल हुआ। अब शाम का ऑपरेशन भी फेल होगा। BJD प्रवक्ता लेनिन मोहंती का धमाकेदार बयान। उन्होंने कहा कि इसमें विजय महापात्रा, अरविंद महापात्रा और सनातन महाकुड़ की खास भूमिका थी।

वे पिछले कुछ महीनों से साज़िश में शामिल थे। कुछ बदमाश पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। विजय महापात्रा उन्हें बैकअप दे रहे थे। एक सवाल यह उठता है कि दूसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।

लेनिन ने आगे कहा कि देबाशीष सामंत्रे जैसे कुछ नेताओं ने कभी नहीं कहा कि वे पार्टी को तोड़ देंगे लेकिन वे पार्टी को नुकसान

पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कार्रवाई की गई है। उन्हें भ्रष्टाचार और विश्वासघात के लिए सस्पेंड किया गया था। महीनों की सुनवाई के बाद यह सच साबित हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने कार्रवाई की। कौन बैकअप देगा, कौन ऑर्गनाइज़ करेगा और कौन लागू करेगा, यह तीन लोगों में बँटा हुआ था।

अरविंद ने BJD प्रवक्ता लेनिन मोहंती के रिएक्शन पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने लेनिन के मिड-डे ऑपरेशन से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मिड-डे ऑपरेशन क्या है। आरोपों के सबूत दीजिए। यह बताना बेहतर होगा कि मैं किस दिन और कब किसके साथ बैठा था। मैं सनातन से सिर्फ विधानसभा में मिला था। मैं सनातन से बहुत कम मिला था। दूसरे MLA की तरह मेरी कोई पार्टी भी नहीं थी। अगर सनातन महाकुड, विजय महापात्रा, अरविंद महापात्रा से मिले, तो आपने क्या फोटो और वीडियो पोस्ट किए हैं... सबूत दिखाइए। बताइए कि मैं किससे मिला था।

महानदी कमेटी 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएगी, 23 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होगी

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : राज्य सरकार की महानदी कमेटी 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दो दिन के दौरे पर आएगी। उससे पहले 23 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हुई बातचीत के आधार पर टीम छत्तीसगढ़ में अपना रुख तय करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केवी सिंहदेव ने यह जानकारी दी है।सूत्रों के अनुसार, महानदी ट्रिब्यूनल की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है।छत्तीसगढ़ सरकार से बात करने के बाद ओडिशा सरकार ट्रिब्यूनल का पक्ष लेगी। यह फैसला आज महानदी कमेटी की दूसरी मीटिंग में लिया गया। महानदी कमेटी की दूसरी मीटिंग राजीव भवन में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता केवी सिंहदेव ने की। रेवेन्यू मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर के साथ-साथ BJD MLA निरंजन पुजारी, कांग्रेस MLA सोफिया फिरदौस और सरकारी पार्टी चीफ सचेतक मौजूद थे। हालांकि, 12 मार्च 2018 को बने ट्रिब्यूनल का टर्म 13 मार्च को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार से टर्म बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023